रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 04 फरवरी, 2023 ई० (माघ 15, 1944 शक संवत्) [संख्या 5

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	77–88	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	67–96	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	5–36	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	63–84	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-2

नोशनल पदोन्नति

25 फरवरी, 2022 ई0

सं0 122/सेक/2-पांच-2022-1(1)/2017टी0सी0–प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक, ग्रेड (लेवल-4) (वेतनमान पे मैट्रिक्स-13) के पद से सेवानिवृत्त हुये चिकित्साधिकारी डा0 विनोद कुमार मिश्रा (वरि0 क्र0-5819-क), सेवानिवृत्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को उनके आसन्न कनिष्ठ चिकित्साधिकारी डा0 पंकज श्रीवास्तव (वरि0 क्र0-5838) की अपर निदेशक ग्रेड (लेवल-5) के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 22 मई, 2018 से अपर निदेशक ग्रेड (लेवल-5) (वेतनमान पे मैट्रिक्स-13-क) के पद पर नोशनल पदोन्नति की स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

अनुभाग-3

तैनाती

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 494/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (बालरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800045019	एस–72	डा0 अंशुल भार्गव पुत्र श्री अतुल भार्गव	सी–87, डी0एल0एफ0 एक्सटेंशन–11, साहिबाबाद, गाजियाबाद–201005	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर	अमरोहा।

सं0 495/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (हड्डी रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800004925	एस—05	डा0 विनोद कुमार यादव पुत्र श्री हृदय नारायन यादव	ग्राम—अभयनपुर, पोस्ट—भदोही, जिला सन्त रविदास नगर, भदोही—221401	जिला संयुक्त चिकित्सालय, सोनभद्र	सोनभद्र।
2	53800027014	एस—29	डा0 कंदर्प यादव पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	ग्राम—वसीया खोरे, पो0/ओव—साहजनीया, गोरखपुर—273212	जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	कुशीनगर।
3	53800019264	एस—49	डा0 मो0 अख्तर अली अंसारी पुत्र श्री मो0 शौकत अली अंसारी	ग्राम—भीटी, हण्डिया, प्रयागराज—221502	एम0बी0एस0 संयुक्त चिकित्सालय, भदोही	सन्त रविदास नगर, भदोही।

सं0 496/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800021409	एस–47	डा0 सुनीता कुमारी पुत्री श्री बुनेला प्रसाद	24/1 बी, गगनदीप कालोनी, नैका छतनाग रोड, झूंसी, प्रयागराज।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊँचाहार	रायबरेली।
2	53800041397	एस–135	डा0 वेनु गुप्ता, पति श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	159, कोतवाली (20/74, तहसील रोड) मौदहा, हमीरपुर–210507	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरवरायॉ	कानपुर देहात।
3	53800014524	एस–154	डा0 ऋचा यादव, पति श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह यादव	58/109, जी0–1, बिहाइन्ड, इन्कमटैक्स आफिस मकबूल आलम रोड, खजुरी, वाराणसी–221002	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहबारपुर	आजमगढ़।
4	53800014001	एस–180	डा0 आकांक्षा सिंह पत्नी श्री निखिल सिन्हा	केयर ऑफ, डा0 वीएमके सिन्हा, निखिल आई क्लीनिक, आफिसर कालोनी, सिविल लाइन्स, एम0जी0एस0 चौराहा, सुल्तानपुर–228001	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कछावन	मिर्जापुर।
5	53800032186	एस–194	डा0 आंचल राठौर पत्नी डा0 विजय राठौर	बी–5/1202, क्लीओ काउन्टी, सेक्टर 121, नोएडा–201303	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिनौली	बागपत।
6	53800040583	एस–208	डा0 रश्मि पत्नी श्री ब्रजेश पाठक	474/26 बी ब्रह्म नगर–II, डालीगंज क्रासिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ–226020	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला	हरदोई।
7	53800000001	एस–228	डा0 रूबी सिंह पत्नी डा0 राघवेन्द्र पी0 सिंह	624 वी0 विशेष खण्ड–2 गोमती नगर, लखनऊ–226010	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर	अमेठी।
8	53800015939	एस–235	डा0 आस्था गुप्ता पुत्री श्री ओम प्रकाश गुप्ता	13/ए सिद्धार्थपुरम कालोनी काशी आई एण्ड स्कीन केयर, मुगलसराय, चंदौली–232101	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदौरा	गाजीपुर।
9	53800016027	एस–236	डा0 श्वेता सिंह पति देवेश प्रताप सिंह	ग्राम–महमूदपुर गोसाईगंज, सुल्तानपुर–228125	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉसगॉव	गोरखपुर।
10	53800017169	एस–237	डा0 अनुरागिनी माला पुत्री श्री बाबूराम	वार्ड नं0–17, राजेन्द्र नगर, नियर–टेलीफोन एक्सचेन्ज, बाईपास रोड, पुखराया, कानपुर देहात–209111	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालपी	जालौन।

सं0 497/चि0-3-2022—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (मनोरोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम—19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम / पिता / पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800012322	एस–26	डा0 नुपुर पौल पत्नी डा0 अक्षय लेले	म0नं0–12 पटेल नगर, पटना, बिहार–800023	बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय, गोण्डा	गोण्डा।

सं0 498 / चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (माइक्रोबायोलॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248 / सेक-2-पांच-2003-7(55) / 97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746 / सेक-2-पांच-2003-7(55) / 97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800042554	एस–14	डा0 रूचि गुप्ता पत्नी श्री अवधेश कुमार उमर	गोला बाजार, बाघ गारा, गोरखपुर–273408	उमाशंकर दीक्षित जिला पुरूष चिकित्सालय, उन्नाव	उन्नाव।
2	53800014126	एस–20	डा0 राधा चौधरी पत्नी श्री प्रशांत मलिक	वी–192, ग्रीन पेराडाइज, ए टू जेड कालोनी, मोदीपुरम, मेरठ–250110	जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर।

सं0 499/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (नेत्र रोग विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800035998	एस–34	डा0 कोमल यादव पुत्र श्री एन0 के0 यादव	सी–61, सेक्टर–15, नोएडा–201301	संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्दराबाद	बुलन्दशहर।
2	53800042998	एस–50	डा0 प्रियंका गौतम पुत्री श्री भारत प्रसाद गौतम	सेक्टर 1/339, जानकीपुरम विस्तार योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ–226021	श्रीराम नेत्र चिकित्सालय, अयोध्या	अयोध्या।
3	53800016355	एस–61	डा0 अमित वर्मा पुत्र श्री रजय पाल	ग्राम मुन्नाखेड़ा कासिमपुर सण्डीला, हरदोई, उ0प्र0	200 शैय्या रेफरल चिकित्सालय, तिलोई	अमेठी।

सं0 500/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (फॉरेन्सिक विशेषज्ञ) (लेवल-2) के पद पर निम्न् सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800025867	एस–5	डा0 अनिल यादव पुत्र श्री घनश्याम यादव	ग्राम–आहोंपुर, पोस्ट–परसीपुर, थाना चौरी, जिला भदोही	संयुक्त जिला चिकित्सालय, संजय नगर, गाजियाबाद	गाजियाबाद।
2	53800027652	एस–17	डा0 अभिषेक शर्मा पुत्र श्री ललित शर्मा	ग्राम व पोस्ट–मुसिम्बल, तहसील–जगधरी, जिला–यमुनानगर, हरियाणा–135003	संयुक्त चिकित्सालय, सिकन्दराबाद	बुलन्दशहर।
3	53800047896	एस–19	डा0 अंकित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार	फ्लैट–ए–1, ए/14 सेक्टर–2, राजेन्द्रनगर, गाजियाबाद–201005	जिला संयुक्त चिकित्सालय, बागपत	बागपत।

सं0 501/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे0 रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (पैथोलॉजिस्ट) (लेवल-2) के पद पर निम्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम–19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्तें पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97 टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

[i] दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी से, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्नक प्रारूप में)।

[ii] उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

[iii] ओथ ऑफ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

[iv] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[v] चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[vi] एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

[vii] मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सूची

क्र0 सं0	रजि0 क्र0	मुख्य सूची क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	गृह जनपद का नाम	चयन की गयी इकाई का नाम	जनपद
1	2	3	4	5	6	7
1	53800019519	एस—17	डा0 श्रुति चौहान पत्नी डा0 सचिन शर्मा	हाऊस नं0—100/1ए, स्ट्रीट नं0—11, सोम बाजार, 41/2, पुष्टा गमरी एक्सटेंशन, नार्थ ईस्ट, दिल्ली—10053	100 शैय्या एम0सी0एच0 विंग (महिला) चिकित्सालय, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर।
2	53800004855	एस—34	डा0 आमोद कुमार सरोज पुत्री श्री राम केवल सरोज	ग्राम टेम्हा पोस्ट गगहा, जिला गोरखपुर—273411	100 शैय्या टी0बी0 सह सामान्य चिकित्सालय	गोरखपुर।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
सचिव।

पी0एस0यू0पी0—45 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 फरवरी, 2023 ई० (माघ 15, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

प्रारूप–19

[नियम 27 का उपनियम (11)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन)

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 2532/आठ–अ0जि0(भू0अ0) कानपुर नगर–चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना सं0–55/आठ–अ0जि0 (भू0अ0) कानपुर नगर/दिनांक 11 अप्रैल, 2022 लोक प्रयोजन, अर्थात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना हेतु जनपद कानपुर नगर, तहसील नर्वल स्थित ग्राम-साढ़ में 36.8377 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0–30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 21 मई, 2022 को प्रकाशित की गई थी।

2–उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची ''ख'' में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

3–कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रकाशन करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निर्देश देते हैं। चूंकि जिला कानपुर नगर में डिफेन्स इन्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना

संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है :

अनुसूची ''क''

प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
1	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	2961	0.0689
2					2967	0.1332
3					2971	0.0327
4					3012	0.0240
5					3039	1.7127
6					3040	0.0700
7					3051	0.0067
8					3069	0.1230
9					3081	0.0300
10					3082	0.0360
11					3086	0.0161
12					3087	0.0034
13					3088	0.0030
14					3089	0.0170
15					3108	0.1500
16					3110	0.1029
17					3114	0.5766
18					3116	0.6512
19					3143	0.0865
20					3170	0.0305
21					3171	0.0320
22					3202	0.0307
23					3227	0.0092
24					3228	0.0107
25					3229	0.0107
26					3230	0.0005

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
27	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	3232	0.0427
28					3237	0.0012
29					3238	0.0012
30					3239	0.0047
31					3242	0.0092
32					3244	0.0005
33					3245	0.0007
34					3246	0.0005
35					3248	0.0007
36					3249	0.0007
37					3251	0.0210
38					3252	0.0005
39					3253	0.0012
40					3254	0.0012
41					3285	0.1140
42					3321	0.0126
43					3335	0.0099
44					3380	0.0280
45					3386	0.7080
46					3387	0.7236
47					3408	0.6570
48					3415	0.2753
49					3458	0.0270
50					3459	0.0370
51					3506	0.0819
52					3512	0.1697
53					3520	0.0128
54					3521	0.0194
55					3526	0.0180
56					3527	0.0180
57					3528	0.0178

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
58	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	3529	0.0180
59					3530	0.0180
60					3531	0.0182
61					3532	0.0300
62					3533	0.0300
63					3534	0.0558
64					3629	0.0512
65					3643	0.1741
66					3650	0.0794
67					3684	0.0760
68					3721	0.0235
69					3731	0.1430
70					3733	0.8684
71					3736	0.0997
72					3761	0.6373
73					3765	0.1628
74					3782	0.0797
75					3789	2.0120
76					3795	0.5663
77					3796	1.7000
78					3797	0.2453
79					3829	0.0360
80					3836	0.1125
81					3837	0.1125
82					3838	0.1125
83					3839	0.1125
84					3842	0.00367
85					3843	0.0100
86					2990-ख	0.0065
87					2995-ख	0.0015
88					2997-ख	0.0060

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
89	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	3028-ख	0.0015
90					3032-ख	0.0015
91					3065-ख	0.2867
92					3065-ग	0.2048
93					3074-ख	0.19175
94					3080-घ	0.0025
95					3080-ङ	0.0095
96					3107-ख	0.0045
97					3109-ख	0.0015
98					3137-ङ	0.1137
99					3156-च	0.0290
100					3158-ङ	0.0730
101					3161-ग	0.2673
102					3271-ग	0.0102
103					3284-क	0.0305
104					3286-ख	0.1450
105					3288-ख	0.0091
106					3338-ख	0.0307
107					3354-ख	0.0205
108					3383-क	0.0683
109					3399-मि0	0.3000
110					3421-क	0.0204
111					3464-छ	0.0322
112					3515-ख	0.0345
113					3515-क	0.0459
114					3522-ख	0.1778
115					3523-ख	0.1367
116					3627-ख	0.1230
117					3627-क	0.0615
118					3628-ख	0.1026
119					3639-ख	0.0111

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
120	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	3640-ख	0.0010
121					3640-ङ	0.0010
122					3652-क	0.0520
123					3711-घ	0.0011
124					3711-ख	0.0936
125					3711-क	0.0015
126					3711-छ	0.0011
127					3711-च	0.0045
128					3724-घ	0.1240
129					3799-घ	0.0120
130					3801-ख	0.0035
131					3803-ख	0.0050
132					3803-क	0.0329
133					3812-ख	0.0145
134					3815-ख	0.0153
135					3733/3875-क	0.0015
136					3733/3875-ख	0.0011
137					3733/3875-ग	0.0015
138					3733/3875-घ	0.0010
139					3289-ख	0.2000
140					3289-ग	0.2000
141					3289-घ	0.6000
142					3350-ग	0.3000
143					3350-घ	0.3000
144					3351-ग	0.3000
145					3351-घ	0.3000
146					3498-ङ	0.2380
147					3519-ग	0.0600
148					3519-घ	0.4000
149					3519-ङ	0.4000
150					3802-ग	0.2500

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टयर
151	कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	3859-ग	0.3000
152					3859-घ	0.3000
153					3859-ङ	0.3000
154				**योग . . .**	——	**21.94992**

अनुसूची ''ख''

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
					हेक्टयर
कानपुर नगर	नर्वल	नर्वल	साढ़	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड़ कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर,
कानपुर नगर।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SCETION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

Dated : December 20, 2022

Notification no. 2532/VIII/A.D.M. (L.A.)/Kanpur Nagar–Since the preliminary notification No. 55/VIII-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar/dated 11.04.2022, public purpose, *i.e.* through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority, for the Defence Industrial Corridor Project, Village-Sandh located in Tehsil-Narval, District-Kanpur Nagar, in relation to 36.8377 hectares of land in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of the Right to Fair Compensation and Transparency Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) of section 11 issued under sub-section (1) and published in the Official Gazette on 21.05.2022.

2. After considering the report submitted in pursuance of the provision under sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Collector declares under Sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is necessary for public purpose and no land in the village, pargana and district has been identified for rehabilitation and resettlment of the displaced families as given in Schedule "B" (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3. The Collector further instructs to publish the rehabilitation and resettlement plan in brief along with publication of announcement to this effect under Sub-section (2) of Section 19 of the said Act. Since land acquisition for Defence Industrial Corridor Project in District Kanpur Nagar is not likely to displace any family, therefore, there is no need to identify any land for rehabilitation and resettlement and publish the summary of the rehabilitation and resettlement plan.

SCHEDULE "A"

(Land under proposed acquisition)

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Gate No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6	7
						Hecteres
1.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	2961	0.0689
2.					2967	0.1332
3.					2971	0.0327
4.					3012	0.0240
5.					3039	1.7127
6.					3040	0.0700
7.					3051	0.0067
8.					3069	0.1230
9.					3081	0.0300
10.					3082	0.0360
11.					3086	0.0161
12.					3087	0.0034
13.					3088	0.0030
14.					3089	0.0170
15.					3108	0.1500
16.					3110	0.1029
17.					3114	0.5766
18.					3116	0.6512
19.					3143	0.0865
20.					3170	0.0305
21.					3171	0.0320
22.					3202	0.0307
23.					3227	0.0092
24.					3228	0.0107
25.					3229	0.0107
26.					3230	0.0005
27.					3232	0.0427
28.					3237	0.0012
29.					3238	0.0012
30.					3239	0.0047

1	2	3	4	5	6	7
						Hecteres
31.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	3242	0.0092
32.					3244	0.0005
33.					3245	0.0007
34.					3246	0.0005
35.					3248	0.0007
36.					3249	0.0007
37.					3251	0.0210
38.					3252	0.0005
39.					3253	0.0012
40.					3254	0.0012
41.					3285	0.1140
42.					3321	0.0126
43.					3335	0.0099
44.					3380	0.0280
45.					3386	0.7080
46.					3387	0.7236
47.					3408	0.6570
48.					3415	0.2753
49.					3458	0.0270
50.					3459	0.0370
51.					3506	0.0819
52.					3512	0.1697
53.					3520	0.0128
54.					3521	0.0194
55.					3526	0.0180
56.					3527	0.0180
57.					3528	0.0178
58.					3529	0.0180
59.					3530	0.0180
60.					3531	0.0182
61.					3532	0.0300
62.					3533	0.0300
63.					3534	0.0558

1	2	3	4	5	6	7
						Hecteres
64.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	3629	0.0512
65.					3643	0.1741
66.					3650	0.0794
67.					3684	0.0760
68.					3721	0.0235
69.					3731	0.1430
70.					3733	0.8684
71.					3736	0.0997
72.					3761	0.6373
73.					3765	0.1628
74.					3782	0.0797
75.					3789	2.0120
76.					3795	0.5663
77.					3796	1.7000
78.					3797	0.2453
79.					3829	0.0360
80.					3836	0.1125
81.					3837	0.1125
82.					3838	0.1125
83.					3839	0.1125
84.					3842	0.00367
85.					3843	0.0100
86.					2990-Kha	0.0065
87.					2995-Kha	0.0015
88.					2997-Kha	0.0060
89.					3028-Kha	0.0015
90.					3032-Kha	0.0015
91.					3065-Kha	0.2867
92.					3065-Ga	0.2048
93.					3074-Kha	0.19175
94.					3080-Gha	0.0025
95.					3080-Anga	0.0095
96.					3107-Kha	0.0045

1	2	3	4	5	6	7
						Hecteres
97.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	3109-Kha	0.0015
98.					3137-Anga	0.1137
99.					3156-Cha	0.0290
100.					3158-Anga	0.0730
101.					3161-Ga	0.2673
102.					3271-Ga	0.0102
103.					3284-Ka	0.0305
104.					3286-Kha	0.1450
105.					3288-Kha	0.0091
106.					3338-Kha	0.0307
107.					3354-Kha	0.0205
108.					3383-Ka	0.0683
109.					3399-M	0.3000
110.					3421-Ka	0.0204
111.					3464-Chha	0.0322
112.					3515-Kha	0.0345
113.					3515-Ka	0.0459
114.					3522-Kha	0.1778
115.					3523-Kha	0.1367
116.					3627-Kha	0.1230
117.					3627-Ka	0.0615
118.					3628-Kha	0.1026
119.					3639-Kha	0.0111
120.					3640-Kha	0.0010
121.					3640-Anga	0.0010
122.					3652-Ka	0.0520
123.					3711-Gha	0.0011
124.					3711-Kha	0.0936
125.					3711-Ka	0.0015
126.					3711-Chha	0.0011
127.					3711-Cha	0.0045
128.					3724-Gha	0.1240
129.					3799-Gha	0.0120
130.					3801-Kha	0.0035
131.					3803-Kha	0.0050
132.					3803-Ka	0.0329
133.					3812-Kha	0.0145
134.					3815-Kha	0.0153
135.					3733/3875-Ka	0.0015

1	2	3	4	5	6	7
						Hecteres
136.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	3733/3875-Kha	0.0011
137.					3733/3875-Ga	0.0015
138.					3733/3875-Gha	0.0010
139.					3289 Kha	0.2000
140.					3289-Ga	0.2000
141.					3289-Gha	0.6000
142.					3350-Ga	0.3000
143.					3350-Gha	0.3000
144.					3351-Ga	0.3000
145.					3351-Gha	0.3000
146.					3498-Anga	0.2380
147.					3519-Ga	0.0600
148.					3519-Gha	0.4000
149.					3519-Anga	0.4000
150.					3802-Ga	0.2500
151.					3859-Ga	0.3000
152.					3859-Gha	0.3000
153.					3859-Anga	0.3000
					Total ...	**21.94992**

SCHEDULE "B"

(*Land marked as settlement area for displaced families*)

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5	6	7
						Hectares
1.	Kanpur Nagar	Narval	Narval	Sandh	Nil	Nil

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for the this project)

Note :– Site map of the said land can be seen in the Office of Collector/Additional District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 Westcott Building, Mall Road, Kanpur Nagar.

(*Sd.*) ILLIGEBLE,
Collector,
Kanpur Nagar.

सिद्धार्थनगर, जिलाधिकारी की आज्ञायें

[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिसूचना

23 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 7235(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम बनकटा में स्थित 5.0531683 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6075/आठ –वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 06 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम बनकटा की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बनकटा	11	0.5182904
				65	0.04878519
				61	0.363492
				60	0.0733404
				39	0.0192475
				38	0.0009325
				409	0.02599737
				415	0.0632885
				417	0.0985949
				419	0.0575283
				343	0.0403502
				333	0.065228
				332	0.3742215
				317	0.4067094
				487	0.3287153
				489	0.5965666
				490	0.2502223
				494	0.0486149
				योग . .	**5.0531683**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	बनकटा	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, SIDDHARTHNAGAR

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

NOTIFICATION

September 23, 2022

No. 7235(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6075 (i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24.06.2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 5.0531683 hectares of land in Village-Bankata, Pargana-Baansi Purab, Tehsil- Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 06th of August, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village-Bankata, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bankata	11	0.5182904
				65	0.04878519
				61	0.363492
				60	0.0733404
				39	0.0192475
				38	0.0009325
				409	0.02599737
				415	0.0632885
				417	0.0985949
				419	0.0575283
				343	0.0403502
				333	0.065228
				332	0.3742215
				317	0.4067094
				487	0.3287153
				489	0.5965666
				490	0.2502223
				494	0.0486149
				Total . .	**5.0531683**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Bankata	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by agency has been declared that no families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern tahsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 7236(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम रोहुआ में स्थित 0.7526591 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6072/आठ –वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 06 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम रोहुआ की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	रोहुआ	114	0.0112694
				122	0.5238492
				124	0.2077197
				126	0.0098208
				योग . .	**0.7526591**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	रोहुआ	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

No. 7236(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6072/ VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24-06-2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.7526591 hectares of land in Village-Rohuaa, Pargana-Baansi Purab, Tehsil- Baansi, District- Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 06th of August, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village- Rohuaa, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Rohuaa	114	0.0112694
				122	0.5238492
				124	0.2077197
				126	0.0098208
				Total . .	**0.7526591**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Rohuaa	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by Agency has been declared that no families are likely to be displaced due to land acquistition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern Tahsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 7237(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम पड़िया बुजुर्ग में स्थित 1.25499244 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6078/आठ –वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम पड़िया बुजुर्ग की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पड़िया बुजुर्ग	22	0.2923074
				24	0.504498
				29	0.0526437
				32	0.1933122
				32/139	0.1830872
				35	0.02207484
				37	0.0070691
				योग . .	**1.25499244**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पड़िया बुजुर्ग	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

No. 7237(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6072/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24-06-2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.25499244 hectares of land in Village-Padiya Bujurg, Pargana-Baansi Purab, Tehsil- Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 13th of August, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village- Padiya Bujurg, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District- Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Padiya Bujurg	22	0.2923074
				24	0.504498
				29	0.0526437
				32	0.1933122
				32 / 139	0.1830872
				35	0.02207484
				37	0.0070691
				Total . .	**1.25499244**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Padiya Bujurg	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by Agency has been declared that no. families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social Impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern Tahsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 7238(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम जमोहनी में स्थित 1.5262474 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6079/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम जमोहनी की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहनी	103	0.0835852
				104	0.0319672
				108	0.1565913
				110	0.0588055
				118	0.0034508
				131	0.1523411
				133	0.1204681
				135	0.1120916
				139	0.0230474
				140	0.5419604
				142	0.0108
				164	0.2311388
				योग . .	**1.5262474**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	जमोहनी	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

No. 7238(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6079/ VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24-06-2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 1.5262474 hectares of land in Village-Jamohani, Pargana-Baansi Purab, Tehsil- Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 13th of August, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village- Jamohani, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohani	103	0.0835852
				104	0.0319672
				108	0.1565913
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohni	110	0.0588055
				118	0.0034508
				131	0.1523411
				133	0.1204681
				135	0.1120916
				139	0.0230474
				140	0.5419604
				142	0.0108
				164	0.2311388
				Total . .	**1.5262474**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Jamohani	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by agency has been declared that no. families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern tahsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 7239(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम पिपरा में स्थित 4.2682023 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6067/आठ –वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 30 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम पिपरा की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा	2	0.3376241
				3	0.0160543
				4	0.2398701
				56	0.3397588
				55	0.298752
				213	0.0159568
				219	0.026
				218	0.020
				222	0.064
				48	0.0704659
				232	0.0005445
				235	0.1897504
				234	0.0367823
				233	0.021946
				236	0.0187503
				238	0.0318528
				239	0.0142177
				271	0.1064618
				272	0.1866632
				273	0.1835271
				274	0.1957338
				276	0.095663
				277	0.0516455
				279	0.2877318
				281	0.0283105
				237	0.0238645
				146	0.2172183
				275	0.5127808
				280	0.636276
				योग . .	**4.2682023**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	पिपरा	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

No. 7239(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6067/ VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24-06-2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 4.2682023 hectares of land in Village-Pipra, Pargana-Baansi Purab, Tehsil- Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 30th of July, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village- Pipra, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District- Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	2	0.3376241
				3	0.0160543
				4	0.2398701

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	56	0.3397588
				55	0.298752
				213	0.0159568
				219	0.026
				218	0.020
				222	0.064
				48	0.0704659
				232	0.0005445
				235	0.1897504
				234	0.0367823
				233	0.021946
				236	0.0187503
				238	0.0318528
				239	0.0142177
				271	0.1064618
				272	0.1866632
				273	0.1835271
				274	0.1957338
				276	0.095663
				277	0.0516455
				279	0.2877318
				281	0.0283105
				237	0.0238645
				146	0.2172183
				275	0.5127808
				280	0.636276
				Total . .	**4.2682023**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Pipra	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by Agency has been declared that no families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern Tahsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

सं0 7240(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–उप मुख्य अभियन्ता, कंस्ट्रक्शन/जनरल नार्थ ईस्ट रेलवे, गोरखपुर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन के निर्माणार्थ परियोजना हेतु जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम सोनवलिया में स्थित 3.0266668 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6068/आठ –वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2020-2021, दिनांक 24 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 30 जुलाई, 2022 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर सिद्धार्थनगर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला सिद्धार्थनगर, तहसील बॉसी, परगना बासी पूरब, ग्राम सोनवलिया की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	18	0.1170921
				40	0.4350015
				36	0.1082759
				42	0.3699382

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	86	0.3540893
				73	0.0419468
				69	0.0654974
				67	0.0414905
				68	0.1193383
				64	0.0107665
				193	0.3614887
				194	0.0310372
				196	0.0042557
				192	0.0953309
				195	0.1205764
				217	0.1549639
				220	0.0118348
				219	0.2450956
				218	0.0599354
				232	0.2565603
				233	0.0221714
				योग . .	**3.0266668**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	बॉसी	बॉसी पूरब	सोनवलिया	शून्य	शून्य

नोट–समुचित सरकार द्वारा चयनित सामाजिक समाघात/प्रबन्धन अध्ययनकर्ता संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित अर्जन से भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है तथा अध्ययन कर्ता संस्था की आख्या पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से बहराइच–खलीलाबाद बी0जी0 रेल लाईन परियोजना के निमित्त भूमि अर्जन पर सामाजिक समाघात/प्रबन्धन रिपोर्ट से सहमत होते हुये आवश्यक भूमि का अर्जन किये जाने की संस्तुति की गई है। सम्बन्धित तहसील की आख्या के अनुसार भी कोई कुटुम्ब विस्थापित नहीं हो रहा है।

उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा सिद्धार्थनगर कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

No. 7240(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Whereas Preliminary notification No. 6072/ VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2021, dated 24-06-2022 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 3.0266668 hectares of land in Village-Sonwaliya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District-Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Bharaich-Khalilabad B.G. Rail Line through Deputy Chief Engineer, General/Construction/Survey, North East Railway, Gorakhpur Mandal, Gorakhpur and lastly published on 30th of July, 2022 in Government Gazette U. P. The Deputy Collector/Assistant Collector, was not appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families, because no families are likely to be displaced due to land acquisition.

After considering the report of the Collector for the purpose of land acquisition submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of zero hect. in Village- Sonwaliya, Pargana-Baansi Purab, Tehsil-Baansi, District- Siddharthnagar as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

SCHEDULE-A

(*Land under proposed acquisition*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	18	0.1170921
				40	0.4350015
				36	0.1082759
				42	0.3699382
				86	0.3540893
				73	0.0419468
				69	0.0654974
				67	0.0414905
				68	0.1193383
				64	0.0107665
				193	0.3614687
				194	0.0310372
				196	0.0042557
				192	0.0953309
				195	0.1205764
				217	0.1549639
				220	0.0118348
				219	0.2450956
				218	0.0599354
				232	0.2565603
				233	0.0221714
				Total . .	**3.0266668**

SCHEDULE-B

(*Land indentified as settlement area for displaced families*)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Siddharthnagar	Baansi	Baansi Purab	Sonwaliya	Zero	Zero

NOTE--Social Impact Assesment study conducted by Agency has been declared that no. families are likely to be displaced due to land acquisition. However multi-disciplinary expert group unanimously recommends acquisition of necessary land by agreeing with social impact assessment report on land acquisition for Bahraich-Khalilabad new rail line project. Concern Tehsil has been also submitted report that no families are likely to be displaced due to land acquisition.

A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of Acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

18 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 2391(i)/आठ–वि0भू0अ0अ0/सि0नगर/अधि0सू0/2022-2023–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर, निर्माण खण्ड-2, शोहरतगढ़ मुख्यालय बढ़नी, सिद्धार्थनगर को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत निकलने वाली अल्पिकाओं में खैरी माइनर, तालकुण्डा माइनर व पकडिहवा माइनर के गैप की भूमि को पूर्ण करने हेतु ग्राम औरहवा, महादेव बुजुर्ग, मानपुर, तालकुण्डा, गजेहडी उर्फ मधवानगर, रमवापुर व पकडिहवा, परगना नौगढ़, तहसील शोहरतगढ़ के कुल क्षेत्रफल 0.7933 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–सरयू नहर परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्लीयरेयन्स के संबंध में पत्र दिनांक 19 जून, 2000 प्रस्तुत किया गया है। धारा 6 (2) के उपबन्ध का अवलम्ब लेते हुये भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है।

3–भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

4–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची-क

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	औरहवा	140	0.0630
				207	0.1645
			महादेव बुजुर्ग	192	0.1613
			मानपुर	302	0.0759
			तालकुण्डा	1075	0.0448
				1837	0.0448
				1917	0.0130
				1956	0.0096
				1963	0.0250
				1139	0.0352

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सिद्धार्थनगर	शोहरतगढ़	नौगढ़	गजेहडी उर्फ मधवानगर	236	0.0902
			रमवापुर	126	0.0132
			पकडिहवा	436	0.0528
				योग . .	**0.7933**

5–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

6–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/ क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

November 18, 2022

No. 7391(i)/VIII-S.L.A.O./SDR./Notification/2022-23–Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of the appropriate Government) is satisfied that a total of 0.7933 hectare of land is required in the Village-Aurahwa, Mahadev Bujurg, Manpur, Talkunda Gajehadi *Urf* Madhwanagar, Ramwapur, Pakdihwa, Pargana-Naugarh, Tehsil- Shohratgarh, District- Siddharthnagar is required for public purpose, namely, project Khairi Miner, Talkunda Miner, Paddihwa Miner under Saryu Canal Project through Executive engineer, Rapti Nahar, Nirman Khand-2, Shohratgarh, Mukhyalay Badhni, Siddharthnagar.

2. Letter dated 19-06-2000 has been presented regarding environmental clearance of Saryu Canal Project proposal for acquisition of land based upon the provisions of section 6(2).

3. No families are likely to be displaced due to land acquisition.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE-A

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Shohratgarh	Naugarh	Aurahwa	140	0.0630
				207	0.1645
			Mahadev Bujurg	192	0.1613

1	2	3	4	5	6
					Hectares
Siddharthnagar	Shohratgarh	Naugarh	Manpur	302	0.0759
			Talkunda	1075	0.0448
				1837	0.0448
				1917	0.0130
				1956	0.0096
				1963	0.0250
				1139	0.0352
			Talkunda Gajehadi *Urf* Madhwanagar	236	0.0902
			Ramwapur	126	0.0132
			Pakdihwa	436	0.0528
				Total . .	**0.7933**

5. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of the land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the act.

6. Under section 15 of the act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under section 11 (4) of the act, no person shall make any transaction or cause any transaction of the land *i.e*. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, withour prior approval of the Collector.

NOTE--A plan of the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Siddharthnagar.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 फरवरी, 2023 ई० (माघ 15, 1944 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
विज्ञप्ति

12 जनवरी, 2023 ई0

संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/मान्यता/1043–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 2232/15–7–2022–1(27)/2022 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय–सात (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) के प्रावधानों को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा–16(2) के अन्तर्गत निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :

वर्तमान विनियम		संशोधित विनियम	
अध्याय–सात **(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)**		**अध्याय–सात** **(परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता)**	
1	मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा–	**1**	बोर्ड मान्यता समिति का गठन निम्नवत् करेगा–
(क)	परिषद् के छः सदस्य जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जायेगा कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः वर्गो में से प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक सदस्य को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय।	(क)	मान्यता समिति में सभापति एवं सचिव को छोड़कर बोर्ड के तीन अन्य सदस्य होंगे।
(ख)	परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य– सचिव होगें।	(ख)	परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव पदेन समिति के सदस्य– सचिव होगें।

	वर्तमान विनियम		संशोधित विनियम
	प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड (ख) के अर्न्तगत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें, जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।		प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव यदि वे खण्ड (ख) के अर्न्तगत नाम निर्दिष्ट न भी हो और संबंधित सम्भाग के संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक समितियों की बैठक में सम्मिलित होगें, जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।
	टिप्पणी–परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।		**टिप्पणी**–परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज स्थित कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों पर होगी।
2	परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–	2	परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुए मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–
(एक)	(क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और नियम विहित करना,	(एक)	(क) मान्यता प्रदान करने के लिए मानक और शर्तें प्रस्तावित करना,
	(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना,		(ख) मान्यता की शर्तों एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया प्रस्तावित करना।
	प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें।		प्रतिबन्ध यह है कि मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगें। मान्यता प्रत्याहरण को छोड़कर अन्य दण्ड बोर्ड द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।
(दो)	संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,	(दो)	मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना,
(तीन)	ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना, जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।	(तीन)	ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना, जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किए जाय।
	स्पष्टीकरण–''मान्यता प्रदान करना'' का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथम बार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।		स्पष्टीकरण–''मान्यता प्रदान करना'' का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए प्रथम बार **नवीन** मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।
3	(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।	3	(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण–पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आनलाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः–	(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन–पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगाः–
(1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 मई तक	(1) 15 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची– 31 मई तक
(2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 10 जून तक	(2) 31 मई तक प्राप्त आवेदन–पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची– 10 जून तक
(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	(3) आन लाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
जॉच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।	जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।
आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद् विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।	आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक आन लाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक आन लाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो–	(ग) मान्यता प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि उसके साथ सरकारी कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किए जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो–
आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगाः–	आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगाः–
''0202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति	''0202–शिक्षा खेलकूद, कला तथा संस्कृति
01– सामान्य शिक्षा	01– सामान्य शिक्षा
102–माध्यमिक शिक्षा	102–माध्यमिक शिक्षा
10– मान्यता शुल्क''	10– मान्यता शुल्क''

	वर्तमान विनियम		संशोधित विनियम
	(एक) प्रथमबार हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त– रूपये 30,000।		(एक) हाईस्कूल परीक्षा के लिए मान्यता के निमित्त– रूपये 50,000।
	(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त– रूपये 20,000।		(दो) इण्टरमीडिएट परीक्षा के सभी वर्ग (सभी विषय सहित) में मान्यता के निमित्त– रूपये 25,000 प्रतिवर्ग।
	(तीन) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वन टाइम मान्यता के निमित्त– रूपयें 30,000 प्रतिवर्ग।	(तीन)	इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रथम बार (एकया एक से अधिक वर्ग किन्तु समस्त वर्ग नहीं) मान्यता के निमित्त– रूपये 30,000 प्रतिवर्ग।
	(चार) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त–न्यूनतम 10,000 रूपये के अधीन रखते हुए 5000 रूपये प्रति विषय।	(चार)	इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग में मान्यता के निमित्त– रूपये 35,000 प्रतिवर्ग।
	(पांच) विलम्ब शुल्कः– 16 मई से 31 मई तक– रूपये 20,000।	(पांच)	मान्यता वर्ग तक सीमित नहीं होगी। विषयों के चयन में स्वतंत्रता एवं लचीलापन हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए वर्ग अथवा वर्ग से इतर किसी अतिरिक्त विषय की मान्यता के निमित्त– न्यूनतम 10,000 रूपये के अधीन रखते हुए 5000 रूपये प्रति विषय ।
	(छः) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का को कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।		(छः) विलम्ब शुल्क– रूपये 20,000।
			(सात) मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क–रूपये 30,000।
			(आठ) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।
	(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।		(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।
	(ङ) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।		(ङ) राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं को आवेदन से छूट रहेगी।
	(च) हाईस्कूल के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन–पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक से प्रशासन योजना अनुमोदित न कर दी गई हो।		(च) मान्यता आवेदन के साथ संस्था के संचालन हेतु पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित 'विद्यालय संचालन योजना' प्रस्तुत करनी होगी। संस्था की एक प्रबंध समिति होगी जिसमें विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, अभिभावक, पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी से नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। 'विद्यालय संचालन योजना' में संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन की व्यवस्था तथा पदाधिकारियों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य का स्पष्ट उल्लेख होगा।
4	(क) विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनोंका स्थलीय निरीक्षण किया जायेगाः– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य	4	(क) विनियम–3 के खण्ड (क) के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित समिति के माध्यम से संस्था की भूमि, भवन तथा भौतिक संसाधनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगाः– (1) जिला विद्यालय निरीक्षक – अध्यक्ष (2) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी अथवा तहसीलदार – सदस्य

	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
	(3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य	(3) जनपद के राजकीय इण्टर कालेज अथवा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के प्रधान – सदस्य
		4) जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियन्ता जो सहायक अभियन्ता स्तर से निम्न स्तर का न हो – सदस्य
	उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति (Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।	उक्त जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि तक आन लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर अपनी आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति करेगा और उसे परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव के पास आन लाइन प्रेषित करेगा, तथा उसकी एक प्रति (Hard copy) समस्त अभिलेखों सहित भी प्रेषित करेगा। आवेदन पत्र की एक प्रति (Hard copy) अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।
	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आन लाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या का परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अधीन परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी/विसंगति पाये जाने पर संस्थाधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर तक आन लाइन/डाक द्वारा अवगत कराया जायेगा। संस्थाधिकारी परिषद द्वारा सूचित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 30 सितम्बर तक आन लाइन/हार्ड कापी जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेगे।
	(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन–पत्र स्वीकार किए जायेगें, जो परिषद् विनियमों/मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होगें तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ–पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेगें।	(ख) निरीक्षक द्वारा केवल उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन–पत्र स्वीकार किए जायेगें, जो परिषद् विनियमों/ मानक/शर्तो के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होगें तथा जिनके साथ संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया शपथ–पत्र संलग्न होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गए आवेदन–पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेगें।
5	संस्था द्वारा मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगें:–	5 मान्यता के लिए आवेदन–पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगें तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण समिति अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देगी:–
	(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या।	(1) विखण्डित।
	(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।	(2) प्रबन्ध समिति का संविधान, यदि कोई हो।
	(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।	(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।	(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिए मान्यता अपेक्षित है।
(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम, संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।	(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम, संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।
(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/ समिति/ ट्रस्ट के नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/ दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो भू–राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।	(6) संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/ दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो भू–राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।
समिति/ट्रस्ट द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।	समिति/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit) द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।
	विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
नोट–नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	नोट–नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(क) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा, उनमें ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सस्था को संचालित करने के लिए विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में ट्रस्ट की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।	(क) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट अथवा कम्पनी अधिनियम–2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit)द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट /कम्पनी (Not for Profit) द्वारा किया जायेगा, उनमें सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विद्यालय संचालन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नही होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ख) जिन संस्थाओं को परिषद् द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।	(ख) जिन संस्थाओं को परिषद द्वारा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, उनकी प्रबन्ध समिति की आम सभा की सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिये आम सभा के कुल सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद् अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।	(ग) प्रदेश में आवास विकास परिषद् अथवा विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित अथवा संचालित किये जाने वाले विद्यालयों को सोसायटी अथवा ट्रस्ट के माध्यम से मान्यता प्रदान की जा सकती है। विद्यालय की सोसायटी यदि यह उचित समझती है कि ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय को संचालित करने में सुविधा होगी तो सोसाइटी की आम सभा के 3/4 सदस्यों की लिखित सहमति से सोसायटी को ट्रस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इस निमित्त उन्हें सोसायटी से ट्रस्ट के नाम भू खण्ड का दुबारा रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
(घ) नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा जिसका प्रमाण पत्र स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा पृथक से दिया जायेगा।	(घ)
	————————————
(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।	(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष यथानिर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण।
(8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।	(8) विखण्डित।
(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।	(9) संस्था के भवन का फोटो जो चारों दिशाओं से लिया गया हो।
(10) मानक के अनुसार साज–सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।	(10) मानक के अनुसार साज–सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।
(11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा	(11) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा
(12) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7 कक के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन–पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	(12) विद्यालय संचालन हेतु आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय भार निजी स्त्रोतों से वहन करने का प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(13) संस्थाओं को हाईस्कूल नवीन के साथ इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी जिसमें संस्था को वर्गवार इण्टर नवीन अथवा वन टाइम वर्ग की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर ही एक साथ प्रदान की जायेंगी।	(13) विखण्डित।
(14) निरीक्षक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खड़े होकर फोटों खिंचवायेगा, जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।	(14) निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउण्ड्री वाल, पुस्तकालय आदि की वीडियो ग्राफी की जाएगी जिसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा पेनड्राइव में संरक्षित कर निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जाएगी।
(15) संस्था के प्रबंधक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा– मैं (पूरा नाम) ..... आत्मज ..... प्रबन्धक विद्यालय का नाम ..... शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूं कि संस्था को आवेदित..... ..... की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये है, वे सभी सत्य है। संस्था का प्रयोग छात्रों के पठन– पाठन के लिए ही किया जायेगा। मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदित वर्ग/विषय की कक्षायें मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संचालित किये जायेगें तथा भवन/भूमि का परिवर्तन कदापि नहीं किया जायेगा। आवदेन–पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन–पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गई मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी, मुझे मान्य होगी। (ह0) प्रबन्धक संस्था का पूरा नाम तथा पता	(15) संस्था के प्रबंधक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ दिये गये प्रारूप परिशिष्ट–'क' में सौ रूपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र दिया जाना होगा।
(16) मान्यता आवेदन–पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन–पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।	(16) मान्यता आवेदन–पत्र में संस्था द्वारा जिन अभ्यर्थियों के पठन–पाठन के लिए मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिए मान्यता प्राप्त हो गई। प्रदत्त मान्यता से इतर अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जायेगी।
(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।	(17) संस्था को इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(18) (अ) संस्थाओं को हाईस्कूल की नवीन मान्यता वन टाइम निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–	(18) (अ) नवीन मान्यता निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–
(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।	(क) जूनियर स्तर पर स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हाईस्कूल की वनटाइम नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन होगी।
(ख) परिषद् द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा–6 से कक्षा–10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं (कक्षा–6 से 8 तक) के लिये कक्षा–कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।	(ख) परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता कक्षा–6 से कक्षा–10 तक प्रदान की जायेगी तथा यह विद्यालय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्रावधानों के अधीन हाईस्कूल का भाग माने जायेंगे। ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं (कक्षा–6 से 8 तक) के लिये कक्षा–कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा।
(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा–6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।	(ग) माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल कक्षा–6 से 10 तक मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
(घ) वर्ष 1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा–9–10) की मान्यता परिषद द्वारा प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।	(घ) वर्ष 1991 के उपरान्त जिन संस्थाओं को सीधे हाईस्कूल (कक्षा–9–10) की मान्यता परि ाद द्वारा प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों में जूनियर कक्षाओं के संचालन हेतु लगे प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।
(ङ) पूर्व में परिषद् द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा–6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक होगी,जिसकी सूचना परिषद् में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा–6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।	(ङ) पूर्व में परिषद् द्वारा सीधे हाईस्कूल की नवीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा–6 से 8 तक) की कक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करनी आवश्यक होगी, जिसकी सूचना परिषद् में देनी अनिवार्य होगी। ऐसे विद्यालयों में जूनियर स्तर तक (कक्षा–6 से 8) के मान्य छात्र संख्या के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं जूनियर स्तर के प्रयोगशाला का होना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे विद्यालयों में प्राइमरी कक्षायें मान्य एवं संचालित नहीं होगी।
(ब) इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता सर्वप्रथम दस विषयों (अनिवार्य विषय हिन्दी सहित) में प्रदान की जायेगी। इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु शर्तें पूर्ण करने की दशा में एक या इससे अधिक वर्गो में एक साथ मान्यता प्रदान की जा सकती है।	(ब) विखण्डित।
(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है, जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।	(19) विद्यालय को एक बार में इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गो में दी जा सकती है, जिनके लिए वह अपेक्षित शर्तो की पूर्ति करता हों।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy)उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे।	(20) जिला विद्यालय निरीक्षक 31 मई तक आनलाइन प्राप्त समस्त मान्यता आवेदन–पत्रों पर अपनी निरीक्षण आख्या परिषद् के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आनलाइन तथा (Hard copy) उसी वर्ष की 20 अगस्त तक प्राप्त करायेंगे।
(अ) परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।	(अ) परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।
(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा,जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।	(21) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के मान्यता आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा,जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।
(22) संस्था मान्यता आवेदन–पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।	(22) संस्था मान्यता आवेदन–पत्र के संबंध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।
(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहॉ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासन हीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।	(23) उन विद्यालयों की मान्यता के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहॉ शासकीय अनुदान का दुरूपयोग किया जा रहा हो, अनुशासन हीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।
(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे :–	(24) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (नवीन अथवा वर्ग अथवा विषयों) कक्षाओं की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं को अन्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिसका उल्लेख निरीक्षण अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या में विशेष रूप से करेंगे :–
(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।	(क) विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 यथासंशोधित नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय।सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।
(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।	(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय। सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।
(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	(ग) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखा जाना अनिवार्य हो तो इन्हें सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।	(घ) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय। सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

	वर्तमान विनियम		संशोधित विनियम
	(ड़) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।		(ड़) निरीक्षण अधिकारी द्वारा अग्निशमन यंत्र तथा भवन की दृढ़ता एवं सुरक्षा उपायों का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी। (च) पेयजल की व्यवस्था– • विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु सबमर्सिबल, हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का–2), आर0ओ0, पाइप पेयजल, हैण्डवाश प्लेटफार्म एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए। • दिव्यांगों हेतु मानक के अनुसार सुविधाजनक पेयजल की व्यवस्था • विभिन्न आयु वर्ग के बच्चो की लम्बाई की विभिन्नता के दृष्टिगत अलग–अलग ऊचाई के प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाय। शौचालय की व्यवस्था– • छात्र एवं छात्राओं हेतु पृथक–पृथक सायनेज सहित सुरक्षित शौचालयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बालिकाओं के लिए सेनेटरी पैड एवं इंसीनिरेटर की व्यवस्था किया जाना होगा। • दिव्यांगों हेतु भूतल पर–पृथक शौचालय, हैण्ड रेल, रैम्प रेलिंग सहित, साईनेज एवं अन्य निर्धारित मानक के अनुसार, • 150 बालक–बालिकाओं के सापेक्ष न्यूनतम दो–दो शौचालय एवं छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शौचालयों की संख्या इसी अनुपात में बढ़ायी जाएगी। (छ) विद्यालय परिसर के ऊपर हाईटेंशन विद्युत तार नहीं होना चाहिए। (ज) विद्यालय में विद्युत/सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंव जल–मल निकासी की व्यवस्था की जाए। (झ) विद्यालय में एक मुख्य गेट एवं आकस्मिक उपयोग हेतु एक गेट तथा विद्यालय का नाम लिखे जाने हेतु सायनेज की व्यवस्था की जाए।
6	कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में मॉगी जाय, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।	6	कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में मॉगी जाय, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।
7	निरीक्षक अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं, का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या की प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगे।	7	निरीक्षण समिति अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं, का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
8 संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है	8 संस्थाओं को मान्यता हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति के आधार पर शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भी हिन्दी माध्यम से इतर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है।
9 परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगीः–	9 परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्ते होगीः–
(अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता वनटाइम।	(अ) हाईस्कूल नवीन मान्यता
(क) अनिवार्य शर्ते–	(क) अनिवार्य शर्ते–
(1) पंजीकरण–समिति का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।	(1) पंजीकरण–समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी **(Not for Profit)** का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
(2) प्रशासन योजना–विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम् अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।	(2) विद्यालय संचालन योजना–पंजीकृत समिति/ट्रस्ट /कम्पनी द्वारा विद्यालय संचालन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(3) प्रभूत कोष– प्राभूत कोष के रूप में 15,000.00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा।	(3) प्राभूत कोष–प्राभूत कोष के रूप में रूपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा। नये विद्यालय की मान्यता हेतु प्राभूत कोष अचल सम्पत्ति के रूप में स्वीकार नहीं होगा।
(4) सुरक्षित कोष– सुरक्षित कोष के रूप में 3000–00 रूपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बन्धक होना अनिवार्य होगा।	(4) सुरक्षित कोष – सुरक्षित कोष के रूप में रूपये 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपये) केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होना अनिवार्य होगा।
(5) भवन–संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे–	(5) भवन–संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के लिन्टर्ड पक्के कक्ष होंगे–
(क) 8×6 मीटर या 48 वर्गमीटर के पांच शिक्षण कक्ष।	(क) 8×6 मीटर के दो शिक्षण कक्ष।
(ख) 6×5 मी0 या 30 वर्गमीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।	(ख) 6×5 मी0 का एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।
(ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।	(ग) 4×3 मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।
(घ) 9×6 मी0 मीटर या 54 वर्गमीटर माप के तीन प्रयोगशाला (जूनियर, गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्ष का होना अनिवार्य होगा।	(घ) 9×6 मी0 मीटर के दो प्रयोगशाला (गृहविज्ञान एवं विज्ञान) कक्ष का होना अनिवार्य होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ड़) 6×5 मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का संगीत, सिलाई, कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।	(ड़) 6×5 मी0 माप का संगीत, सिलाई, कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।
(च) 8×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।	(च) 14×8 मी0 एक पुस्तकालय कक्ष ।
	(छ) 9×6 मीटर की स्मार्ट क्लास हेतु एक कक्ष।
	(ज) 9×6 मी0 एक कम्प्यूटर कक्ष
	(झ) चहारदिवारी– एक पर्याप्त ऊचाँई की सतत पक्की चहारदिवारी की व्यवस्था।
भूमि– विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगाः–	भूमि– विद्यालय समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगाः–
(1) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका /कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्गमीटर, जिसमें 162 वर्गमीटर क्रीड़ा स्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।	(1) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/ कैन्टोनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 3000 वर्गमीटर, जिसमें 1000 वर्गमीटर क्रीड़ा स्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है,परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।
(2) ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।	(2) ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 6000 वर्ग मीटर जिसमें 2000 वर्ग मीटर भूमि का क्रीड़ास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो,अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।
	क्रीड़ास्थल– एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो–खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैटमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जिम्नेजियम एवं अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स तथा शारीरिक सौ ठव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
टिप्पणी–पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचलित जिन नियमों/ विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/क्रीड़ास्थल वर्तमान मानक के अनुरूप होने की दशा में मान्य होंगे। अर्थात् उक्त विनियम संशोधन पूर्वगामी प्रभाव से (Retrospective Effect) लागू माने जायेंगे।	टिप्पणी– विखण्डित।
(6) आवेदन शुल्क–मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।	(6) आवेदन शुल्क–मान्यता हेतु निर्धारित आवदेन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।
नोटः– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।	नोटः–उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ख) सामान्य शर्तेः	(ख) सामान्य शर्तेः
(1) काष्ठोपकरण–200 सेट सज्जा होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था जूनियर कक्षाओं के साथ होगी।	(1) काष्ठोपकरण–छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र/छात्रा हेतु कुर्सी–मेज/डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त का''ठोपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिए हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था छात्र संख्या के अनुरूप पूर्ण होना आवश्यक है।	(2) पेयजल की व्यवस्था– • विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु सबमर्सिबल, हैण्डपम्प (इण्डिया मार्का–2), आर0ओ0, पाइप पेयजल, हैण्डवाश प्लेटफार्म एवं ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की जाए। • दिव्यांगों हेतु मानक के अनुसार सुविधाजनक पेयजल की व्यवस्था • विभिन्न आयु वर्ग के बच्चो की लम्बाई की विभिन्नता के दृष्टिगत अलग–अलग ऊचाई के प्लेटफार्म की व्यवस्था की जाय। शौचालय की व्यवस्था– • विद्यालय में स्टाफ एवं छात्र–छात्राओं हेतु सायनेज सहित पृथक–पृथक शौचालयों की व्यवस्था जिसमें पाइप वाटर सप्लाई, ओवरहेड टैंक, इक्झास्ट (EXHAUST) फैन, वाश बेसिन, साबुन/ हैण्डवाश की सुविधा हो। साथ ही बालिकाओं के लिए सेनेटरी पैड एवं इंसीनिरेटर की व्यवस्था किया जाना होगा। • दिव्यांगों हेतु भूतल पर–पृथक शौचालय, हैण्ड रेल, रैम्प रेलिंग सहित, साईनेज एवं अन्य निर्धारित मानक के अनुसार, 150 बालक–बालिकाओं के सापेक्ष न्यूनतम दो–दो शौचालय एवं छात्र संख्या में वृद्धि होने पर शौचालयों की संख्या इसी अनुपात में बढ़ायी जाएगी।
(3) पुस्तकालयः – 5,000 रूपये मूल्य के जूनियर/हाईस्कूल स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य–पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक होगा।	(3) पुस्तकालय–आधुनिक साज–सज्जा से युक्त, कैटलॉगिंग की सुविधा के साथ, हाईस्कूल पाठ्यपुस्तकें, महापुरूषों की जीवनी, उपन्यास, समसामयिक पत्र–पत्रिकायें (साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक), समाचार पत्र, विश्व ज्ञानकोश, शब्दकोश (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) कथा–साहित्य, नाटक, काल्पनिक कहानी संग्रह, रिफरेन्स बुक, शोध पत्र (राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) एवं साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धर्म–दर्शन, मनोविज्ञान आदि से सम्बंधित पुस्तकों का संग्रह तथा ई–बुक्स, ई–जर्नल एवं ई–मैगज़ीन की व्यवस्था वाचनालय के साथ करनी होगी। विद्यालय स्टाफ एवं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय में पढ़ने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(4) सामान्य शिक्षण सामग्रीः– जूनियर कक्षाओं के साथ हाईस्कूल स्तरीय रू0 5,000 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।	(4) सामान्य शिक्षण सामग्री–श्यामपट, चॉक–डस्टर, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा–चित्र, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, विषयवार टी0एल0एम एवं अन्य सामान्य शिक्षण सामग्री का छात्र संख्या के अनुरूप भौतिक रूप से सतत् व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
(5) विज्ञान शिक्षण सामग्रीः–जूनियर कक्षाओं के साथ रू0 20,000 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यकहोगा।	(5) विज्ञान शिक्षण सामग्री–विज्ञान विषय (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान) के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।
(6) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्रीः– रू0 10,000 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।	(6) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री– गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।
(7) संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरणः– रू0 5,000 मूल्य के उपकरण होने आवश्यक होगें।	(7) संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट आवश्यक उपकरण एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।
(8) छात्र संख्या–जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–6, 7, 8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।	(8) छात्र संख्या–जूनियर स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा–6, 7, 8 में कम से कम 150 छात्र होने आवश्यक होगें (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 85 से कम न होगी)।
टिप्पणीः	टिप्पणीः
(1) पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग–अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम में बन्धक होने पर ही स्वीकार होगा।	1– पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का भौतिक सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(2) निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।	2–निरीक्षक द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण निरीक्षक द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।
	(9) नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन तथा संस्था के प्रत्येक कक्ष के दोनों ओर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा, डी0वी0आर0, राउटर, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाई–फाई लगवाये जाने के साथ ही विद्यालय की वेबसाइट विकसित कराते हुए संस्था का जियो लोकेशन (अक्षांश–देशांतर) भी दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
	कम्प्यूटर कक्ष हेतु 25 कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास हेतु आडियो विडियो प्रोजेक्टर/बड़े स्क्रीन की एल0ई0डी0 टी0वी0 की व्यवस्था करनी होगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
	(10) प्रत्येक विद्यालय में कार्यालय उपयोग हेतु कम से कम दो कम्प्यूटर सेट तथा उनसे सम्बन्धित आवश्यक उपकरण एवं दक्ष कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था की जाएगी।
	(11) विद्यालय में स्वास्थ्य–स्वच्छता, सौन्दर्यीकरण, बागवानी, वाहन स्टैण्ड, पर्यावरण सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
	(12) दिव्यांगों हेतु बाधारहित पहुँच एवं अन्य प्राविधानित सुरक्षा मानकों का समावेश, दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अनुरूप किया जाए।
	(13) विद्यालय भवन का मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराते हुए विद्यालय भवन के निर्माण में सुरक्षा मानकों यथा– भूकंपरोधी, अग्नि सुरक्षा, दीमक रोधी, विद्युत सम्बंधी कन्शील्ड वायरिंग एवं आवश्यकतानुसार प्लग प्वाइन्टस, स्वच्छ प्राकृतिक हवा एवं रोशनी का विशेष ध्यान रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के अनुरूप किया जाए।
	विद्यालय में विद्युत/सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंव जल–मल निकासी की व्यवस्था की जाए।
(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग (केवल दस विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु	(ब) इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग तथा अतिरिक्त विषय हेतु
(क) अनिवार्य शर्तेः–	(क) अनिवार्य शर्तेः–
(1) पंजीकरण समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।	(1) पंजीकरण–समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी **(Not for Profit)** का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।	(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो का पूर्ण होना आवश्यक होगा।
भवन–	भवन–
(क) प्रत्येक वर्ग के लिए (कक्षा 11 व 12 के लिए) 8 मी0×6 मी0 या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होगें। बालिका विद्यालयों के लिए कक्षा कक्षों की माप 8 मी0 × 5 मी0 या 40 वर्ग मीटर मान्य होगी।	(क) 8×6 मी0 के दो शिक्षण कक्ष
(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।	(ख) 6×5 मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष।
(ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।	(ग) प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु 9×6 मीटर की एक–एक प्रयोगशाला

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा।	(घ) कृषि वर्ग हेतु 1 एकड़ भूमि केवल विद्यालय के नाम होना अनिवार्य होगा। भूमि की व्यवस्था 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी की जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(ङ) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कॉमन होगीं।	(ङ) विज्ञान एवं कृषि वर्ग हेतु प्रयोगशालायें कॉमन होगीं।
(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष 5,000/–तथा सुरक्षित कोष 2,000 /– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है	(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष – इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रूपये 2,00,000/– तथा सुरक्षित कोष रूपये 1,00,000/– (हाईस्कूल के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पद नाम में बन्धक होना अनिवार्य है।
(4) विखण्डित।	
(ख) सामान्य शर्तेः	(ख) सामान्य शर्तेः
(1) छात्र संख्या– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।	(1) छात्र संख्या– इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता हेतु हाईस्कूल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या एवं उप विभाग का विवरण आवश्यक होगा किन्तु यह प्रतिबंध हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की एक साथ मान्यता हेतु आवेदित प्रकरणों पर लागू नहीं होगा।
(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।	(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक होगा।
(3) काष्ठोपकरण– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए। वैज्ञानिक वर्ग के प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन–तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक है।	(3) काष्ठोपकरण– छात्र संख्या के अनुरूप 1 वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र/छात्रा हेतु कुर्सी–मेज/डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त काष्ठोपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
(4) पुस्तकालय–इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/– मूल्य की पुस्तके (पाठ्य–पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिए होना आवश्यक होगा।	(4) हाईस्कूल स्तर पर स्थापित/संचालित पुस्तकालय में इण्टरमीडिएट स्तरीय पाठ्यपुस्तकें एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बंधित पुस्तकों की व्यवस्था करनी होगी।
(5) सामान्य शिक्षण सामग्री–इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 2,000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।	(5) सामान्य शिक्षण सामग्री–श्यामपट, चॉक–डस्टर, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा–चित्र, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, विषयवार टी0एल0एम0 एवं अन्य सामान्य शिक्षण सामग्री का छात्र संख्या के अनुरूप भौतिक रूप से सतत् व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(6) विज्ञान उपकरण–इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक वर्ग हेतु 25,000/– रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होगा।	(6) विज्ञान शिक्षण सामग्री–भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।
(7) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री– इण्टरमीडिएट स्तर हेतु 5,000/– रू0 मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगा।	(7) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री– गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोगशाला उपकरण/यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।
(8) कृषि उपकरण– इण्टरमीडिएट कृषि हेतु 10,000/– रू0 के उपकरण/ कृषि यंत्रादि होने आवश्यक होगे।	(8) कृषि उपकरण–इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग हेतु विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट कृषि एवं पशुशाला सम्बंधी उपकरण/कृषि यंत्रादि की भौतिक रूप से उपलब्धता छात्र संख्या के अनुरूप की जाएगी।
(9) कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।	(9) कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।
नोट–इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।	नोट–इण्टरमीडिएट अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
(स) इण्टरमीडिएट नवीन (वनटाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)	(स) 9 (स) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:– इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) हेतु (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग)

निम्नलिखित तालिका के अनुसार/विवरण के अनुसार शिक्षण कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगात्मक कक्ष एवं कृषि कक्ष मान्य होंगे –

मानविकी वर्ग

अनिवार्य शर्ते–

(1) पंजीकरण–समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत् पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए।

(2) हाईस्कूल की मान्यता की अनिवार्य शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:–

कक्ष	माप (मीटर में)	मानविकी वर्ग (कक्षों की सं0)	वैज्ञानिक वर्ग (कक्षों की सं0)	वाणिज्य वर्ग (कक्षों की सं0)	कृषि वर्ग (कक्षों की सं0)
शिक्षण कक्ष	8 X 6	2	2	2	2
वैकल्पिक कक्ष	6 X 5	एक वैकल्पिक कक्ष (सभी वर्गों के लिए मान्य होगा)			
कम्प्यूटर कक्ष	9 X 6	एक कम्प्यूटर कक्ष (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य वर्ग के लिए मान्य होगा)			
प्रयोगशाला	9 X 6	प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के अनुसार एक–एक प्रयोगशाला	प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय के अनुसार एक–एक प्रयोगशाला	–	3
कृषि कक्ष	8 X 6	–	–	–	1

भवनः–

नोट– (1) किसी संस्था द्वारा कृषि वर्ग की मान्यता प्राप्त करने हेतु 3 प्रयोगशाला होना अनिवार्य है परन्तु यदि संस्था को विज्ञान वर्ग की मान्यता पूर्व में प्राप्त है, उस स्थिति में विज्ञान वर्ग हेतु स्थापित प्रयोगशाला कृषि वर्ग हेतु भी मान्य होगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
	हाईस्कूल स्तर पर उपलब्ध पुस्तकालय कक्ष, प्रशासकीय कक्ष, कला/संगीत/नृत्य कक्ष एंव कम्प्यूटर कक्ष इण्टरमीडिएट स्तर पर मान्य होंगे।
	(2) इण्टरमीडिएट नवीन मान्यता हेतु विनियम 9(ब) में वर्णित अनिवार्य शर्तें एवं अन्य शर्तें इण्टरमीडिएट नवीन (वन टाइम) (मानविकी, वैज्ञानिक, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग हेतु) में भी मान्य होंगी।
(क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6×6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें।	
(ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।	
(ग) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष।	
(घ) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प आदि के लिए एक प्रयोगशाला अलग–अलग होना आवश्यक होगा।	
(ड़) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।	
(3) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध–इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें।	
नोट–उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।	
सामान्य शर्तेः	
(1) काष्ठोपकरण– कक्षा 11 व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिए 80 सेट सज्जा हाईस्कूल के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिए।	
(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।	
(3) पुस्तकालय–इण्टरमीडिएट स्तर के 5,000/– रू0 मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।	
(4) सामान्य शिक्षण सामग्री–2,000/– रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।	
(5) गृहविज्ञान, भूगोल, सैन्यविज्ञान, काष्ठ शिल्प, ग्रन्थशिल्प तथा चर्मशिल्प– प्रत्येक विषय के लिए 5,000/– रू0 मूल्य की शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।	

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
वैज्ञानिक वर्ग– अनिवार्य शर्ते– (1) पंजीकरण–समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए। (2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः– भवनः– (क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6 6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें। (ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष। (ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, विद्युत अभियंत्रण के तत्व/यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व आदि के लिए अलग–अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें। नोट–उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी। सामान्य शर्तेः (1) काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें। (2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है। (3) विज्ञान उपकरण हेतु 25,000/– रूपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा। (4) प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजे होना आवश्यक होगी। वाणिज्य वर्गः– अनिवार्य शर्ते– (1) पंजीकरणः–समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए। (2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा–	

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
भवन– (क) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6 x 6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें। (ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष। (ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर का एक कम्प्यूटर कक्ष अनिवार्य होगा। साथ ही 5 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्ते भी पूरी करनी होगी।	
(3) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें। नोट– उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी। सामान्य शर्तेः (1) काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें। (2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक हैं।	
कृषि वर्गः अनिवार्य शर्तेः (1) पंजीकरणः समिति, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होनी चाहिए। (2) हाईस्कूल की मान्यता की शर्तो के साथ–साथ निम्नांकित शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः– भवन– (क) 8×6 मीटर या 48 मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 6 x 6 मीटर या 36 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होगें। (ख) 6×5 मीटर या 30 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष। (ग) 9×6 मीटर या 54 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु। (घ) 8×6 मीटर या 48 वर्ग मीटर माप का एक कृषि कक्ष। (ड़) सिंचाई के साधनों से युक्त कृषि योग्य उपजाऊ भूमि न्यूनतम एक एकड़। (3) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तो के अनुसार मान्य होगें। नोट–उपर्युक्त अनिवार्य शर्तो में किसी भी प्रकार की शिाथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।	

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
सामान्य शर्ते–	
(1) काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री हाईस्कूल के अतिरिक्त मानविकी वर्ग के अनुसार मान्य होगें।	
(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है ।	
(3) कृषि के उपकरण एवं यंत्रादि हेतु 10,000/– तथा वैज्ञानिक सामग्री एवं पशुशाला आदि के लिये 2,500/– रू0 मूल्य के संसाधन होने आवश्यक होगे।	
(4) प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए तीन प्रयोगात्मक मेजें होनी आवश्यक होगी।	
कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/ इण्टर)	कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (हाईस्कूल/ इण्टर)
(1) प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।	(1) प्रयोगशाला में एक कम्प्यूटर पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेगें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कम्प्यूटरों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।
(2) प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगीः–	(2) प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगीः–
(क) प्रति विद्यालय 5 कम्प्यूटर (p3) मशीन।	(क) कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु न्यूनतम 25 कम्प्यूटर (अपडेटेड वर्ज़न) एवं पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक अद्यतन सॉफ्वेयर।
(ख) एक DMP(132 कालम) ।	(ख) 2 प्रिन्टर
(ग) UPS प्रति मशीन 500 VA के आधार पर होना आवश्यक है।	(ग) UPS प्रति कम्प्यूटर के आधार पर होना आवश्यक है।
(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,जैसे–हाईस्कूल के लिए विन्डोज MS office, G.W.basic इण्टरमीडिएट के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त Tarbsc, C++	(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है।
	नोट– हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के अपडेटेड वर्ज़न की व्यवस्था की जाएगी।
(ड़) प्रयोगशाला के लिए प्रति मशीन के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ–सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।	(ड़) प्रयोगशाला के लिए प्रति कम्प्यूटर के लिए न्यूनतम 2.5 वर्ग मीटर का स्थान विद्यालय में होना अनिवार्य हैं। प्रयोगशाला साफ–सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।
(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।	(च) प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।
(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।	(छ) प्रति कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु एक समान मेज तथा दो स्टूल की आवश्यकता होगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(3) छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्वि किया जाना चाहिए।	(3) छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं का आनुपातिक वृद्वि किया जाना चाहिए।
केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भसंस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी। (राजाज्ञा संख्या–1160/15–7–2001 –4(203)/2001 दिनांक 31 मार्च, द्वारा प्राविधानित)	केवल कम्प्यूटर विषय को मान्यता के संदर्भसंस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनके संस्था में कम्प्यूटर शिक्षा मानकीय अपेक्षानुसार दी जा रही है तथा इसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कर दी गयी हो तो ऐसी संस्थाओं की कम्प्यूटर विषय की मान्यता का मान्यता–पत्र निर्गत कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना मान्यता समिति की अगली बैठक में दी जायेगी।
10 यदि परिषद् सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन–किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी, जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद/निरीक्षक को देगा।	10 यदि परिषद् सन्तुष्ट हो कि एक संस्था मान्यता का सुपात्र है तो वह सचिव को आदेश देगी कि उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की उसके द्वारा रखी जाने वाले सूची में प्रविष्ट कर लें तथा सचिव संस्था और संबंधित निरीक्षक/निरीक्षिका को सूचित करेगा कि किन–किन विषयों में किन शर्तो पर तथा किस परीक्षा के लिए उसे मान्यता प्राप्त हुई है। मान्यता उसी तिथि से दी हुई समझी जायेगी, जिस तिथि से संस्थाधिकारी लिखित रूप में कक्षा संचालन की सूचना परिषद्/ निरीक्षक को देगा।
11 मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगीः–	11 मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तो के अधीन रहते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगीः–
(क) परिषद् द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है,वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा। अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली दोषी संस्थाओं को निम्नांकित प्रकार से दण्डित किया जा सकेगाः–	(क) परिषद् द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है,वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जब संस्थाधिकारी कक्षा संचालन की लिखित सूचना निरीक्षक को देगा। परिषद् से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/विषय में ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अन्य किसी भी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाना अनियमित एवं अवैध होगा।
(अ) अमान्य वर्ग/विषय में प्रवेश लेने वाली संस्थाओं से आर्थिक दण्ड के रूप मे ऐंसी धनराशि वसूल की जायेगी,जो राज्य सरकार निर्धारित करे।	
(ब) अनियमित एवं अनधिकृत रूप से छात्रों का प्रवेश लेने वाली संस्थाओं के विरूद्व ऐसी अन्य दण्डात्मक कार्यवाही, जिसमें मान्यता का प्रत्याहरण भी सम्मिलित होगा, भी की जा सकेगी, जिसे राज्य सरकार उचित समझे।	
(स) आर्थिक दण्ड की धनराशि संस्था के प्रबंधक/ प्रधानाचार्य से भू–राजस्व की भांति वसूली जायेगी।	

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद् द्वारा विहित अर्हता परिषद् विनियमों के अध्याय–दों के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने चाहिए।	(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद् द्वारा विहित अर्हता परिषद् विनियमों के अध्याय–दो के विनियम–1 के परिशिष्ट–क में विहित अर्हताएवं राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट आदेश के अनुसार नियुक्त होना चाहिए तथा समय–समय पर शिक्षकों का शिक्षण–प्रशिक्षण होना आवश्यक है। 30 अप्रैल से पूर्व अर्ह शिक्षण कर्मी की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जाएगी जिसको निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा रिपोर्ट परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अनर्ह शिक्षण कर्मी पाये जाने पर दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्व नहीं है।	(ग) संस्था शिक्षा संहिता के ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते है तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्व नहीं है।
(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।	(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी।
(ङ) संस्था द्वारा मान्य कक्षायें विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेगी।	(ङ) संस्था द्वारा केवल मान्य कक्षायें ही विद्यालय परिसर के अन्दर चलाई जायेगी। संस्था में अन्य कोई गैर शैक्षणिक कार्य अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जायेगी। ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें संस्था पर आर्थिक दण्ड के साथ–साथ विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है।
(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।	(च) संस्था मान्य वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षायें संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाये ही संचालित की जायेगी।
(छ) छात्र संख्या में वृद्वि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा–कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।	(छ) छात्र संख्या में वृद्वि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा–कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामाग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी।
(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक, भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।	(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित है) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक, भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी, जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो। यह शर्त मान्यता प्राप्त आंग्ल भारतीय विद्यालयों के सम्बन्ध में इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा पर लागू नहीं होगी।	(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा आदेश न दिये जाये, वह किसी प्रतिद्वन्द्वी परीक्षा (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगी और न उनमें बैठने देगी, जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती हो।
(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।	(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जिला विद्यालय निरीक्षक के पद नाम में बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य को हस्तान्तरित सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है। नोट–बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी, बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।	(ट) प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिका अभ्यर्थियों का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है। नोट–बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी, बालिकाओं के प्रवेश के उपरान्त ही रिक्त सीटों पर बालकों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद/शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।	(ठ) विखण्डित।
(ड) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने अथवा परिषद/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबंधित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।	(ड) विखण्डित।
(ढ़) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाए संचालित नहीं करते है तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गो के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।	(ढ़) हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) अथवा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते अथवा कक्षाए संचालित नहीं करते है तो विद्यालय के प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि इण्टर वनटाइम अथवा अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्गो के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(ण) विखण्डित।	(ण) विखण्डित।
(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।	(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज–सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।
(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त कर निर्धारित पाठयचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।	(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद नियम संग्रह/पाठ्य विवरण, निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) से प्राप्त कर निर्धारित पाठयचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा। तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।
(द) मान्यता प्राप्त संस्था,विद्यालय में पठन–पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी कियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।	(द) परिषद/विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मान्यता प्राप्त संस्था, विद्यालय में पठन–पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने के दिशा में सदैव तत्पर रहेगी। (अ) विद्यालय में पठन–पाठन के कार्य के सुचारू संचालन हेतु शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति बोर्ड के बेवसाइट/पोर्टल पर प्रत्येक कार्य दिवस में दर्ज की जायेगी। (ब) विद्यालय द्वारा विकसित वेबसाइट पर विद्यालय का नाम, ईमेल, टेलीफोन/मोबाइल नम्बर, आधारभूत सुविधाओं (भवन, कक्षों की संख्या, कम्प्यूटर, खेल, पुस्तकालय, परिवहन, पेयजल, शौचालय, प्रयोगशाला, लाइट, फैन) का विवरण, योग्यता सहित शिक्षकों का विवरण, कक्षावार छात्र/छात्राओं की संख्या, प्रत्येक वर्षों का परीक्षाफल एवं शुल्क का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। मान्य वर्ग/विषय की सूचना विद्यालय की सूचना पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
(ध) जिन संस्थाओं का परिषद/शासन द्वारा सशर्त मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तो को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तो के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था की मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।	(ध) विखण्डित।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी :–	(न) मान्यता प्राप्त संस्थायें उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये निम्नांकित शर्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगी :–
(1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तद्नुसार पुराने भवनों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्वार कराया जाय।	(1) नये भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया जाय। तद्नुसार पुराने भवनों का समय–समय पर आवश्यकतानुसार जीर्णोद्वार कराया जाय।
(2) विद्यालय में आवश्यकतानुसार छः माह के भीतर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जाय।	(2) विद्यालय में आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्रों का समय–समय पर नवीनीकरण की व्यवस्था करायी जाए।
(3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।	(3) विद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाय। यदि शैक्षिक दृष्टि से इन्हें रखना आवश्यक हो तो सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
(4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।	(4) अग्निशमन उपकरणों तथा सुरक्षा उपायों से विद्यालय स्टाफ को जनपद के अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाय।
(5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।	(5) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने की दशा में विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।
(6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तो का अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।	(6) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आवेदित नवीन मान्यता के प्रकरणों पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा। जब तक संस्थायें उक्त शर्तो का अनुपालन संबंधी प्रमाण–पत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर देती।
(7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (मा0) को प्रेषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।	(7) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों की दृढ़ता तथा सुरक्षा उपायों का समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा उक्त शर्तों के अनुपालन आख्या संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (मा0) को प्रेषित की जायगी। दृढ़ता एवं सुरक्षा का प्रमाण–पत्र केवल समुचित जांच के उपरान्त ही दिया जाय। दोषी पाये गये निरीक्षण अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे)	(उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे)

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
	(8) भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य/सुरक्षा के दृष्टि से निर्धारित सेफ्टी गाइड लाइन यथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्कूल सेफटी पॉलिसी, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्कूलों में छात्र/छात्राओं के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
	(प) (1) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या अधिकतम 60 होगी। (2) विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक विषय हेतु एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य, योग, व्यायाम शिक्षक, परामर्शदाता (काउंस्लर) को छोड़कर विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए प्रति अनुभाग 1.5 शिक्षक होना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक विषय का एक अध्यापक होना अनिवार्य होगा। अनुभाग बढ़ने पर विषय की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुए शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना होगा। (3) संस्था द्वारा शैक्षिक कर्मियों/शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवा शर्तों एवं परिलब्धियों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार करना होगा तथा बैंक के माध्यम से सीधे इनके खाते में भुगतान किया जाएगा। (4) विद्यालय द्वारा अपनी समस्त आय–व्यय के लेखेजोखों का ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से कराना होगा तथा रिपोर्ट प्रतिवर्ष जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। (5) विद्यालय द्वारा ली जा रही शिक्षण शुल्क का स्पष्ट लेखाजोखा रखा जाएगा तथा शिक्षण शुल्क का कम से कम 70 प्रतिशत शैक्षिक एवं अन्य कमियों के परिलब्धियों पर व्यय किया जाएगा।
	(फ) बोर्ड द्वारा तद्वर्थ में घोषित राज्य स्तर के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाफल प्रतिशत से संस्था का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
12 कोई संस्था, जिसे परिषद् द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद् के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद् संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।	12 कोई संस्था, जिसे परिषद् द्वारा हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किए जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद् संस्था को ऐसी शर्तो पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किए जाने की अनुज्ञा दे सकती है।
13 (क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16–घ के खंड की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद् को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद् प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।	13 (क) जब निदेशक अधिनियम की धारा 16–घ के खंड की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद् को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिए विचारार्थ भेजता है, तो परिषद् प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।
(ख) विनियम 13 (क) के अनुसार परिषद् द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षानिदेशक तथा परिषद् को प्रेषित करेगा। परिषद् प्रबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षानिदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद् उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है, तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।	(ख) विनियम 13 (क) के अनुसार परिषद् द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर संयुक्त शिक्षानिदेशक तथा परिषद् को प्रेषित करेगा। परिषद् प्रबंधक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उसे संयुक्त शिक्षानिदेशक की आख्या यथास्थिति अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित करेगी। संस्था की मान्यता प्रत्याहरित होने की दशा में परिषद् उस संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची से काट देगी। अथवा संस्था के प्रबंधक को चेतावनी देते हुए यह आदेश देगी कि परिषद द्वारा नियत अवधि के भीतर संस्था दोष अथवा दोषों को यदि दूर नहीं करती है, तो उसकी मान्यता प्रत्याहरित करते हुए उनका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची से काट दिया जायेगा अथवा एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का होगा।
(ग) परिषद् निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।	(ग) परिषद् निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
14 प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/ आकस्मिक निरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेगें। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद्/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।	14 प्रत्येक संस्था निरीक्षण अधिकारी द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण के लिए तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/ अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती हैं। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जायेगें। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद्/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
15 जिला विद्यालय निरीक्षक, निरीक्षण के समय पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो के अनुसार भवन के समक्ष खड़े होकर अपना तथा भवन का फोटो खिचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे, जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।	15 जनपदीय समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउण्ड्री वाल, पुस्तकालय, वीडियो ग्राफी/फोटोग्राफी की जायेगी, जिसे परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा तथा पेनड्राइव में संरक्षित कर निरीक्षण आख्या के समय संलग्न की जायेगी।
16 प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में किसी एक ट्रेड विषय का अध्ययन अध्यापन कक्षा 9 तथा 12 तक अपने निजी स्रोत से सुविधानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा। आवश्यकतानुसार संस्थाओं द्वारा एक से अधिक ट्रेड विषयों का संचालन किया जा सकता है। संस्थाओं द्वारा जिन ट्रेड विषयों का संचालन किया जायेगा, उसकी पृथक् से मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्था सम्बन्धित ट्रेड विषय में स्वतः मान्य माने जायेंगे। संस्था को इस निमित्त कोई शासकीय अनुदान देय नहीं होगा।	16 प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु निर्धारित विभिन्न ट्रेड विषयों में किन्हीं दो सेक्टर से सम्बंधित अलग–अलग दो जॉब रोल (ट्रेड) का कक्षा 9 तथा 12 तक अध्यापन तथा अध्यापन हेतु आवश्यक उपकरणों वर्क रोड, सामग्री एवं इंस्ट्रक्टर अपने निजी स्रोत से कराया जाना अनिवार्य होगा। • वोकेशनल ट्रेड का चिन्हिकरण क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं रोजगार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। विद्यालय द्वारा संचालित ट्रेड के व्यावहारिक ज्ञान हेतु नजदीक के यथास्थित वर्कशाप, उद्योग, कम्पनी आदि से लिंक स्थापित करना अनिवार्य होगा।
	17 संस्था द्वारा हाईस्कूल कक्षाओं के लिए त्रिभाषा एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए द्विभाषा का शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा इनमें से एक क्षेत्रीय भाषाओं में से एक भाषा होगी। क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम सामान्य स्तर का होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में संस्था द्वारा प्रोजेक्ट कार्य एवं भाषा की जानकारी से सम्बंधित शिक्षण कराया जाएगा जिसके आधार पर छात्र/छात्राओं की ग्रेडिंग की जाएगी।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
	18 मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अधिनियमित व्यवस्था एवं विभागीय निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर परिशिष्ट–'ख' के अनुसार दण्ड अधिरोपित किये जायेंगे।
	19 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के लिए मान्यता सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिए प्रदान की जायेगी। तदोपरान्त स्ववित्त पोषित संस्था द्वारा विद्यालय संचालन हेतु निर्धारित व्यवस्थाओं की समुचित उपलब्धता और मान्यता की शर्तों के अनुपालन की वस्तुस्थिति के स्थलीय निरीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर परिषद द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जायेगा। संस्था द्वारा नवीनीकरण के आवेदन के पश्चात निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण न किये जाने की स्थिति में स्वतः नवीनीकृत (डीम्ड) माना जाएगा।

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–114 मा0शि0प0–02.02.2023–5000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

25 जनवरी, 2023 ई0

संख्याः मा0शि0प0/परिषद–9/1096–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को मान्यता प्राप्त बोर्डों की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 ने अपने पत्र संख्या 2396/15-7-2022, दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 द्वारा अध्याय–बारह के विनियम-17(7) एवं अध्याय-चौदह के विनियम-2 को निम्नांकित के अनुसार संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है :

परिषद् विनियमों के अध्याय–चौदह के विनियम (2) में संशोधन

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2
विनियम-2 निम्नलिखित परीक्षायें इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के उद्देश्य से परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की जाती है : क्रम 1 से लेकर 35 तक।	क्रम 1 से लेकर 35 तक यथावत्। क्रम 36 भारतीय शिक्षा बोर्ड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा।

परिषद् विनियमों के अध्याय–चौदह के विनियम 17(7) में संशोधन

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1	2
विनियम-17(7) निम्नलिखित परीक्षायों को परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है : क्रम 1 से लेकर 36 तक।	क्रम 1 से लेकर 36 तक यथावत्। क्रम 37 भारतीय शिक्षा बोर्ड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा।

दिब्यकान्त शुक्ल,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उ0प्र0, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 4–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–115 मा0शि0प0–02.02.2023–1000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 4 फरवरी, 2023 ई० (माघ 15, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्
(भूमि अर्जन अनुभाग)

17 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1022/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 (उ0प्र0 एक्ट-1, 1966) की धारा-32(1) के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति किया जाता है कि उ0 प्र0 राज्य सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा-31(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ''भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या'' नामक योजना की जो उक्त अधिनियम की धारा-28 के अधीन उ0प्र0 गजट दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 के भाग आठ के पृष्ठ संख्या–585-586 पर प्रथम बार प्रकाशित हुई थी और परिषद् द्वारा बाई-सरकुलेशन दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई थी उक्त योजना में समविष्ट ग्रामों में से प्रथम चरण में ग्राम मांझा शाहनेवाजपुर के संबंध में उ0प्र0 राज्य सरकार के आदेश संख्या 03/आठ-2-2023-03 एच0बी0/2021, लखनऊ, दिनांक 09 जनवरी, 2023 में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं।

उक्त योजना अन्तर्गत ग्राम–मांझा शाहनेवाजपुर, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला–अयोध्या के अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नवत हैं :

क्र0 सं0	गाटा संख्या	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	धारा–28 प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	पुनर्गहण से प्राप्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रजिस्ट्री से प्राप्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	नियोजन समिति एवं मा0 परिषद् की बैठक द्वारा संस्तुति की गई समायोजित रकबा (हेक्टेयर में)	अवशेष अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	190	0.0440	0.0173	0.0173			0.0000
2	191	0.0540	0.0540	0.0540			0.0000
3	192	0.0770	0.0770				0.0770

1	2	3	4	5	6	7	8
4	193	0.0760	0.0760				0.0760
5	194	0.0770	0.0770		0.0770		0.0000
6	195	0.0760	0.0760		0.0760		0.0000
7	196	0.3050	0.3050				0.3050
8	197	0.3060	0.3060				0.3060
9	198	0.3060	0.3060				0.3060
10	199	0.2210	0.2210		0.2210		0.0000
11	200	0.1230	0.1230		0.1230		0.0000
12	201	0.2160	0.2160		0.2160		0.0000
13	202	0.2160	0.2160		0.2160		0.0000
14	203	0.0360	0.0360		0.0360		0.0000
15	204	0.1230	0.1230		0.1230		0.0000
16	205	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
17	206	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
18	207	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
19	208	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
20	209	0.0720	0.0720		0.0720		0.0000
21	210	0.0720	0.0720		0.0720		0.0000
22	211	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
23	212	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
24	213	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
25	214	0.0150	0.0150		0.0150		0.0000
26	215	0.0150	0.0150		0.0150		0.0000
27	216	0.1770	0.1770	0.1770			0.0000
28	217	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
29	218	0.3500	0.3500		0.0700	0.0319	0.2481
30	219	0.3500	0.3500	0.0600			0.2900
31	220	0.5200	0.5200		0.4500		0.0700
32	221	0.2500	0.2500				0.2500
33	337	10.0900	0.0571	0.0571			0.0000
34	338	0.0500	0.0500				0.0500
35	339	0.0920	0.0920	0.0920			0.0000
36	340	0.2630	0.2630				0.2630
37	341	0.1750	0.1750		0.1750		0.0000
38	342	0.0960	0.0960		0.0960		0.0000
39	343	0.0480	0.0480		0.0480		0.0000
40	344	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
41	345	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
42	346	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
43	347	0.2900	0.2900				0.2900
44	348	0.1400	0.1400	0.0300	0.0120		0.0980

1	2	3	4	5	6	7	8
45	349	0.2900	0.2900				0.2900
46	350	0.0240	0.0240	0.0240			0.0000
47	351	0.0210	0.0210	0.0210			0.0000
48	352	0.4000	0.4000				0.4000
49	353	0.7600	0.7600		0.2450		0.5150
50	354	0.0200	0.0200				0.0200
51	355	2.1180	2.1180				2.1180
52	356	0.4280	0.4280				0.4280
53	357	0.4290	0.4290				0.4290
54	358	0.4280	0.4280				0.4280
55	359	0.2210	0.2210				0.2210
56	360	0.2210	0.2210		0.2210		0.0000
57	361	0.1550	0.1550		0.1550		0.0000
58	362	0.1050	0.1050		0.1050		0.0000
59	363	0.0950	0.0950		0.0950		0.0000
60	364	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
61	365	0.3710	0.3710		0.3710		0.0000
62	366	0.0790	0.0790	0.0790			0.0000
63	367	1.2320	1.2320		1.2320		0.0000
64	368	0.3900	0.3900		0.1850	0.0234	0.1816
65	369	0.3800	0.3800				0.3800
66	370	0.5060	0.5060				0.5060
67	371	0.4710	0.4710		0.4710		0.0000
68	372	0.3730	0.3730		0.3730		0.0000
69	373	0.2020	0.2020		0.2020		0.0000
70	374	0.5470	0.5470				0.5470
71	375	0.0550	0.0550	0.0550			0.0000
72	406	1.0600	0.7405	0.7405			0.0000
73	407	0.2000	0.2000		0.1000		0.1000
74	408	0.1530	0.1530		0.1530		0.0000
75	409	0.0070	0.0070	0.0070			0.0000
76	410	0.1700	0.1700	0.1700			0.0000
77	411	0.3180	0.3180				0.3180
78	412	0.3180	0.3180				0.3180
79	413	0.3480	0.3480		0.3480		0.0000
80	414	0.3150	0.3150		0.3150		0.0000
81	415	0.3510	0.3510		0.3510		0.0000
82	416	0.3480	0.3480				0.3480
83	417	0.3480	0.3480				0.3480
84	418	0.2800	0.2800			0.1037	0.1763
85	419	0.0500	0.0500		0.0100		0.0400

1	2	3	4	5	6	7	8
86	420	0.0600	0.0600	0.0600			0.0000
87	421	0.0420	0.0420	0.0420			0.0000
88	422	0.1770	0.1770		0.1770		0.0000
89	423	0.0540	0.0540				0.0540
90	424	0.0480	0.0480	0.0180		0.0300	0.0000
91	425	0.6210	0.6210		0.6210		0.0000
92	426	0.6710	0.6710		0.6710		0.0000
93	427	0.0990	0.0990		0.0990		0.0000
94	428	0.1620	0.1620				0.1620
95	429	0.1630	0.1630		0.1630		0.0000
96	430	0.1850	0.1850		0.1850		0.0000
97	431	0.0930	0.0930		0.0797		0.0133
98	432	0.0800	0.0800	0.0800			0.0000
99	433	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
100	434	0.0340	0.0340	0.0340			0.0000
101	435	4.6310	4.6310		4.6310		0.0000
102	436	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
103	437	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
104	438	0.0930	0.0930				0.0930
105	439	0.1510	0.1510		0.0250		0.1260
106	440	0.0200	0.0200	0.0200			0.0000
107	441	0.1460	0.1460		0.1460		0.0000
108	442	1.1730	1.1730		1.1730		0.0000
109	443	0.2800	0.2800		0.2800		0.0000
110	444	0.5400	0.5400		0.5400		0.0000
111	445	0.2070	0.2070		0.2070		0.0000
112	446	0.1260	0.1260		0.1225		0.0035
113	447	0.0120	0.0120		0.0117		0.0003
114	448	0.0720	0.0720	0.0720			0.0000
115	449	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
116	450	0.2100	0.2100		0.2100		0.0000
117	451	0.5060	0.5060		0.5060		0.0000
118	452	0.3710	0.3710		0.3710		0.0000
119	453	0.1860	0.1860		0.1860		0.0000
120	454	0.1700	0.1700		0.1700		0.0000
121	455	0.3010	0.3010		0.3010		0.0000
122	456	0.1810	0.1810		0.1810		0.0000
123	457	0.0730	0.0730	0.0730			0.0000
124	458	0.1170	0.1170		0.1170		0.0000
125	459	0.1680	0.1680		0.1680		0.0000
126	460	1.5980	1.5980		1.5980		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
127	461	0.0310	0.0310		0.0310		0.0000
128	462	1.5980	1.5980		1.5980		0.0000
129	463	0.0310	0.0310	0.0310			0.0000
130	464	0.1180	0.1180		0.0927		0.0253
131	466	0.1200	0.0294	0.0294			0.0000
132	587	1.0820	1.0820		1.0820		0.0000
133	588	0.2100	0.2100		0.1746		0.0354
134	589	0.1590	0.1590		0.1590		0.0000
135	590	0.0560	0.0560		0.0560		0.0000
136	591	0.0600	0.0600				0.0600
137	592	0.0400	0.0400				0.0400
138	593	0.2200	0.2200			0.2200	0.0000
139	594	0.0170	0.0170				0.0170
140	595	1.3980	1.3980		1.3980		0.0000
141	596	0.0220	0.0220	0.0220			0.0000
142	597	0.2070	0.2070		0.2070		0.0000
143	598	0.7560	0.7560		0.7560		0.0000
144	599	1.0400	1.0400	0.5100	0.5300		0.0000
145	600	0.0870	0.0870	0.0870			0.0000
146	601	0.0560	0.0560	0.0560			0.0000
147	602	0.2730	0.2730				0.2730
148	603	2.6990	2.6990				2.6990
149	604	0.1200	0.1200				0.1200
150	605	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
151	606	0.0520	0.0520	0.0520			0.0000
152	607	0.2010	0.2010		0.2010		0.0000
153	608	0.2110	0.2110				0.2110
154	609	0.0640	0.0640	0.0640			0.0000
155	610	0.5010	0.5010		0.5010		0.0000
156	611	0.0530	0.0530	0.0530			0.0000
157	612	0.2800	0.2800		0.2800		0.0000
158	613	0.0300	0.0300	0.0300			0.0000
159	614	0.0820	0.0820		0.0820		0.0000
160	615	0.0580	0.0580		0.0580		0.0000
161	616	0.1600	0.1600		0.1537		0.0063
162	617	0.1100	0.1100		0.1100		0.0000
163	618/1375	0.0290	0.0290	0.0290			0.0000
163	618	0.0160	0.016				0.0160
164	619	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
165	620	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
166	621	0.3240	0.3240		0.3240		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
167	622	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
168	623	0.6270	0.6270		0.6270		0.0000
169	624	0.1390	0.1390		0.1390		0.0000
170	625	0.1370	0.1370		0.1370		0.0000
171	626	0.0780	0.0780	0.0780			0.0000
172	627	0.1370	0.1370		0.1370		0.0000
173	628	0.3070	0.3070		0.3070		0.0000
174	629	0.1090	0.1090		0.1090		0.0000
175	630	0.2890	0.2890		0.2890		0.0000
176	631	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
177	632	0.5470	0.5470				0.5470
178	633	0.6340	0.6340				0.6340
179	634	0.6820	0.6820		0.6820		0.0000
180	635	0.0990	0.0990		0.0990		0.0000
181	636	0.1300	0.1300		0.1300		0.0000
182	636/1376	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
183	636/1381	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
184	636/1400	0.1560	0.1560				0.1560
185	636/1401	0.0340	0.0340	0.0340			0.0000
186	637	0.0450	0.0450		0.0450		0.0000
187	638	0.2670	0.2670		0.2670		0.0000
188	639	3.3120	3.3120		3.3120		0.0000
189	640	0.5980	0.5980		0.5980		0.0000
190	641	0.0280	0.0280	0.0280			0.0000
191	642	0.1560	0.1560		0.1389	0.0171	0.0000
192	643	0.0500	0.0500			0.0500	0.0000
193	644	0.0440	0.0440		0.0168	0.0188	0.0084
194	645	0.0900	0.0900	0.0750		0.0150	0.0000
195	646	0.1750	0.1750		0.1685	0.0065	0.0000
196	646/1384	0.3030	0.3030		0.2859	0.0171	0.0000
197	647	0.2250	0.2250		0.2250		0.0000
198	648	0.1850	0.1850		0.1850		0.0000
199	649	0.2240	0.2240		0.2240		0.0000
200	650	0.4810	0.4810		0.2927		0.1883
201	651	0.2080	0.2080	0.2080			0.0000
202	652	0.1810	0.1810		0.1810		0.0000
203	653	0.6790	0.6790		0.6790		0.0000
204	654	0.1950	0.1950		0.1950		0.0000
205	655	0.4210	0.4210		0.4210		0.0000
206	656	0.1550	0.1550		0.1550		0.0000
207	657	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
208	658	0.6300	0.6300		0.6300		0.0000
209	659	0.0260	0.0260		0.0260		0.0000
210	660	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
211	661	0.0580	0.0580		0.0580		0.0000
212	662	0.3940	0.3940		0.3940		0.0000
213	663	0.1800	0.1800	0.1800			0.0000
214	664	0.5220	0.5220		0.5220		0.0000
215	665	0.4570	0.4570		0.4570		0.0000
216	666	0.4690	0.4690		0.4690		0.0000
217	667	0.5190	0.5190		0.5190		0.0000
218	668	0.0510	0.0510	0.0510			0.0000
219	669	0.2870	0.2870		0.2870		0.0000
220	670	0.0900	0.0900		0.0900		0.0000
221	671	0.0700	0.0700		0.0525		0.0175
222	672	0.0700	0.0700		0.0525		0.0175
223	673	0.1430	0.1430		0.1430		0.0000
224	674	0.4260	0.4260		0.4260		0.0000
225	674/1405	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
226	675	0.1390	0.1390		0.1390		0.0000
227	676	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
228	677	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
229	678	0.2940	0.2940		0.2940		0.0000
230	679	0.3280	0.3280		0.3280		0.0000
231	680	0.1540	0.1540		0.1540		0.0000
232	681	0.0280	0.0280	0.0280			0.0000
233	682	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
234	683	0.1500	0.1500		0.1500		0.0000
235	684	0.0750	0.0750		0.0750		0.0000
236	685	0.0760	0.0760		0.0760		0.0000
237	686	0.0790	0.0790				0.0790
238	687	0.0750	0.0750	0.0750			0.0000
239	688	0.0590	0.0590		0.0590		0.0000
240	689	0.0530	0.0530		0.0530		0.0000
241	690	0.0530	0.0530		0.0530		0.0000
242	691	0.4660	0.4660		0.4515		0.0145
243	692	0.9390	0.9390				0.9390
244	693	0.9310	0.9310				0.9310
245	694	1.0060	1.0060				1.0060
246	695	0.4000	0.4000	0.3800	0.0200		0.0000
247	696	0.1650	0.1010	0.1010			0.0000
248	697	0.0790	0.0790		0.0790		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
249	698	0.0800	0.0800		0.0320		0.0480
250	699	0.2360	0.2360		0.2360		0.0000
251	700	0.1570	0.1570		0.1570		0.0000
252	701	0.1500	0.1500	0.0050	0.1450		0.0000
253	702	1.2390	1.2390		1.2390		0.0000
254	703	0.0090	0.0090	0.0090			0.0000
255	704	0.2090	0.2090		0.2090		0.0000
256	705	0.2180	0.2180		0.2180		0.0000
257	706	0.1260	0.1260		0.1260		0.0000
258	707	0.1250	0.1250		0.1250		0.0000
259	708	0.1190	0.1190		0.1190		0.0000
260	709	0.1490	0.1490		0.1490		0.0000
261	710	0.1630	0.1630		0.1630		0.0000
262	711	0.1750	0.1750		0.1750		0.0000
263	712	0.0220	0.0220	0.0220			0.0000
264	713	0.5120	0.5120		0.5120		0.0000
265	714	0.0300	0.0300	0.0300			0.0000
266	715	1.2690	1.2690		1.2690		0.0000
267	716	0.0320	0.0320	0.0320			0.0000
268	717	0.1010	0.1010		0.1010		0.0000
269	718	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
270	719	0.1110	0.1110				0.1110
271	720	0.4730	0.4730		0.4730		0.0000
272	721	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
273	722	0.2880	0.2880		0.1920		0.0960
274	723	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
275	724	0.3080	0.3080		0.3080		0.0000
276	725	0.0240	0.0240	0.0240			0.0000
277	726	0.0470	0.0470	0.0470			0.0000
278	727	0.5740	0.5740		0.5740		0.0000
279	728	0.2090	0.2090		0.1243		0.0847
280	729	0.2320	0.2320		0.2320		0.0000
281	730	0.4440	0.4440		0.4440		0.0000
282	769	4.1200	0.5665	0.5665			0.0000
कुल क्षेत्रफल (हे0 में)		**93.1910**	**79.1068**	**5.0698**	**53.5295**	**0.5335**	**19.5740**

रणवीर प्रसाद,
आवास आयुक्त।

OFFICE OF U. P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

[LAND ACQUISITION SECTION]

NOTICE

January 17, 2023

No. 1022/L.A.C./H.Q.--Under section -32(1) of U. P. Housing and Development Board Act, 1965 (U. P. Act 1, 1966) it is hereby announced that U. P. State Government has exercised the rights conferred by section 31(2) of the above Act while doing the scheme named "Bhoomi Vikas Grihsthan Evam Bazar Yojna, Ayodhya" which was published for the first time on page no. 585-586 of part eight of U. P. Gazette dated, October 17, 2020 under section 28 of the said Act and the scheme was approved by parishad by circulation on dated October 01, 2020. In the first phase of the scheme acquisition of the Village-Manjha Shahnnewajpur was granted subject to the restriction indicated in the U. P. State Government's order number 03/8-2-2023-03H.B./2021, Lucknow dated January 09, 2023.

Under the said scheme, the details of the land to be acquired in Village-Manjha Shahnnewajpur, Pargana-Haveli Awadh, Tehsil-Sadar, District-Ayodhya are as follow :

Sl. No.	Gata No.	Total Area (in Hectares)	Proposed Area in Section-28 (in Hectares)	Area obtained by resumption (in Hectares)	Area obtained from Registry (in Hectares)	Adjusted Area (in Hectares) recommended by the planning committee and the council meeting	Area of land to be acquired (in Hectares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	190	0.0440	0.0173	0.0173			0.0000
2	191	0.0540	0.0540	0.0540			0.0000
3	192	0.0770	0.0770				0.0770
4	193	0.0760	0.0760				0.0760
5	194	0.0770	0.0770		0.0770		0.0000
6	195	0.0760	0.0760		0.0760		0.0000
7	196	0.3050	0.3050				0.3050
8	197	0.3060	0.3060				0.3060
9	198	0.3060	0.3060				0.3060
10	199	0.2210	0.2210		0.2210		0.0000
11	200	0.1230	0.1230		0.1230		0.0000
12	201	0.2160	0.2160		0.2160		0.0000
13	202	0.2160	0.2160		0.2160		0.0000
14	203	0.0360	0.0360		0.0360		0.0000
15	204	0.1230	0.1230		0.1230		0.0000
16	205	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
17	206	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
18	207	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
19	208	0.0540	0.0540		0.0540		0.0000
20	209	0.0720	0.0720		0.0720		0.0000
21	210	0.0720	0.0720		0.0720		0.0000
22	211	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
23	212	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
24	213	0.0140	0.0140		0.0140		0.0000
25	214	0.0150	0.0150		0.0150		0.0000
26	215	0.0150	0.0150		0.0150		0.0000
27	216	0.1770	0.1770	0.1770			0.0000
28	217	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
29	218	0.3500	0.3500		0.0700	0.0319	0.2481
30	219	0.3500	0.3500	0.0600			0.2900
31	220	0.5200	0.5200		0.4500		0.0700
32	221	0.2500	0.2500				0.2500
33	337	10.0900	0.0571	0.0571			0.0000
34	338	0.0500	0.0500				0.0500
35	339	0.0920	0.0920	0.0920			0.0000
36	340	0.2630	0.2630				0.2630
37	341	0.1750	0.1750		0.1750		0.0000
38	342	0.0960	0.0960		0.0960		0.0000
39	343	0.0480	0.0480		0.0480		0.0000
40	344	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
41	345	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
42	346	0.0090	0.0090		0.0090		0.0000
43	347	0.2900	0.2900				0.2900
44	348	0.1400	0.1400	0.0300	0.0120		0.0980
45	349	0.2900	0.2900				0.2900
46	350	0.0240	0.0240	0.0240			0.0000
47	351	0.0210	0.0210	0.0210			0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
48	352	0.4000	0.4000				0.4000
49	353	0.7600	0.7600		0.2450		0.5150
50	354	0.0200	0.0200				0.0200
51	355	2.1180	2.1180				2.1180
52	356	0.4280	0.4280				0.4280
53	357	0.4290	0.4290				0.4290
54	358	0.4280	0.4280				0.4280
55	359	0.2210	0.2210				0.2210
56	360	0.2210	0.2210		0.2210		0.0000
57	361	0.1550	0.1550		0.1550		0.0000
58	362	0.1050	0.1050		0.1050		0.0000
59	363	0.0950	0.0950		0.0950		0.0000
60	364	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
61	365	0.3710	0.3710		0.3710		0.0000
62	366	0.0790	0.0790	0.0790			0.0000
63	367	1.2320	1.2320		1.2320		0.0000
64	368	0.3900	0.3900		0.1850	0.0234	0.1816
65	369	0.3800	0.3800				0.3800
66	370	0.5060	0.5060				0.5060
67	371	0.4710	0.4710		0.4710		0.0000
68	372	0.3730	0.3730		0.3730		0.0000
69	373	0.2020	0.2020		0.2020		0.0000
70	374	0.5470	0.5470				0.5470
71	375	0.0550	0.0550	0.0550			0.0000
72	406	1.0600	0.7405	0.7405			0.0000
73	407	0.2000	0.2000		0.1000		0.1000
74	408	0.1530	0.1530		0.1530		0.0000
75	409	0.0070	0.0070	0.0070			0.0000
76	410	0.1700	0.1700	0.1700			0.0000
77	411	0.3180	0.3180				0.3180

1	2	3	4	5	6	7	8
78	412	0.3180	0.3180				0.3180
79	413	0.3480	0.3480		0.3480		0.0000
80	414	0.3150	0.3150		0.3150		0.0000
81	415	0.3510	0.3510		0.3510		0.0000
82	416	0.3480	0.3480				0.3480
83	417	0.3480	0.3480				0.3480
84	418	0.2800	0.2800			0.1037	0.1763
85	419	0.0500	0.0500		0.0100		0.0400
86	420	0.0600	0.0600	0.0600			0.0000
87	421	0.0420	0.0420	0.0420			0.0000
88	422	0.1770	0.1770		0.1770		0.0000
89	423	0.0540	0.0540				0.0540
90	424	0.0480	0.0480	0.0180		0.0300	0.0000
91	425	0.6210	0.6210		0.6210		0.0000
92	426	0.6710	0.6710		0.6710		0.0000
93	427	0.0990	0.0990		0.0990		0.0000
94	428	0.1620	0.1620				0.1620
95	429	0.1630	0.1630		0.1630		0.0000
96	430	0.1850	0.1850		0.1850		0.0000
97	431	0.0930	0.0930		0.0797		0.0133
98	432	0.0800	0.0800	0.0800			0.0000
99	433	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
100	434	0.0340	0.0340	0.0340			0.0000
101	435	4.6310	4.6310		4.6310		0.0000
102	436	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
103	437	0.0930	0.0930		0.0930		0.0000
104	438	0.0930	0.0930				0.0930
105	439	0.1510	0.1510		0.0250		0.1260
106	440	0.0200	0.0200	0.0200			0.0000
107	441	0.1460	0.1460		0.1460		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
108	442	1.1730	1.1730		1.1730		0.0000
109	443	0.2800	0.2800		0.2800		0.0000
110	444	0.5400	0.5400		0.5400		0.0000
111	445	0.2070	0.2070		0.2070		0.0000
112	446	0.1260	0.1260		0.1225		0.0035
113	447	0.0120	0.0120		0.0117		0.0003
114	448	0.0720	0.0720	0.0720			0.0000
115	449	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
116	450	0.2100	0.2100		0.2100		0.0000
117	451	0.5060	0.5060		0.5060		0.0000
118	452	0.3710	0.3710		0.3710		0.0000
119	453	0.1860	0.1860		0.1860		0.0000
120	454	0.1700	0.1700		0.1700		0.0000
121	455	0.3010	0.3010		0.3010		0.0000
122	456	0.1810	0.1810		0.1810		0.0000
123	457	0.0730	0.0730	0.0730			0.0000
124	458	0.1170	0.1170		0.1170		0.0000
125	459	0.1680	0.1680		0.1680		0.0000
126	460	1.5980	1.5980		1.5980		0.0000
127	461	0.0310	0.0310		0.0310		0.0000
128	462	1.5980	1.5980		1.5980		0.0000
129	463	0.0310	0.0310	0.0310			0.0000
130	464	0.1180	0.1180		0.0927		0.0253
131	466	0.1200	0.0294	0.0294			0.0000
132	587	1.0820	1.0820		1.0820		0.0000
133	588	0.2100	0.2100		0.1746		0.0354
134	589	0.1590	0.1590		0.1590		0.0000
135	590	0.0560	0.0560		0.0560		0.0000
136	591	0.0600	0.0600				0.0600
137	592	0.0400	0.0400				0.0400

1	2	3	4	5	6	7	8
138	593	0.2200	0.2200			0.2200	0.0000
139	594	0.0170	0.0170				0.0170
140	595	1.3980	1.3980		1.3980		0.0000
141	596	0.0220	0.0220	0.0220			0.0000
142	597	0.2070	0.2070		0.2070		0.0000
143	598	0.7560	0.7560		0.7560		0.0000
144	599	1.0400	1.0400	0.5100	0.5300		0.0000
145	600	0.0870	0.0870	0.0870			0.0000
146	601	0.0560	0.0560	0.0560			0.0000
147	602	0.2730	0.2730				0.2730
148	603	2.6990	2.6990				2.6990
149	604	0.1200	0.1200				0.1200
150	605	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
151	606	0.0520	0.0520	0.0520			0.0000
152	607	0.2010	0.2010		0.2010		0.0000
153	608	0.2110	0.2110				0.2110
154	609	0.0640	0.0640	0.0640			0.0000
155	610	0.5010	0.5010		0.5010		0.0000
156	611	0.0530	0.0530	0.0530			0.0000
157	612	0.2800	0.2800		0.2800		0.0000
158	613	0.0300	0.0300	0.0300			0.0000
159	614	0.0820	0.0820		0.0820		0.0000
160	615	0.0580	0.0580		0.0580		0.0000
161	616	0.1600	0.1600		0.1537		0.0063
162	617	0.1100	0.1100		0.1100		0.0000
163	618/1375	0.0290	0.0290	0.0290			0.0000
163	618	0.0160	0.016				0.0160
164	619	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
165	620	0.1020	0.1020		0.1020		0.0000
166	621	0.3240	0.3240		0.3240		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
167	622	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
168	623	0.6270	0.6270		0.6270		0.0000
169	624	0.1390	0.1390		0.1390		0.0000
170	625	0.1370	0.1370		0.1370		0.0000
171	626	0.0780	0.0780	0.0780			0.0000
172	627	0.1370	0.1370		0.1370		0.0000
173	628	0.3070	0.3070		0.3070		0.0000
174	629	0.1090	0.1090		0.1090		0.0000
175	630	0.2890	0.2890		0.2890		0.0000
176	631	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
177	632	0.5470	0.5470				0.5470
178	633	0.6340	0.6340				0.6340
179	634	0.6820	0.6820		0.6820		0.0000
180	635	0.0990	0.0990		0.0990		0.0000
181	636	0.1300	0.1300		0.1300		0.0000
182	636/1376	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
183	636/1381	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
184	636/1400	0.1560	0.1560				0.1560
185	636/1401	0.0340	0.0340	0.0340			0.0000
186	637	0.0450	0.0450		0.0450		0.0000
187	638	0.2670	0.2670		0.2670		0.0000
188	639	3.3120	3.3120		3.3120		0.0000
189	640	0.5980	0.5980		0.5980		0.0000
190	641	0.0280	0.0280	0.0280			0.0000
191	642	0.1560	0.1560		0.1389	0.0171	0.0000
192	643	0.0500	0.0500			0.0500	0.0000
193	644	0.0440	0.0440		0.0168	0.0188	0.0084
194	645	0.0900	0.0900	0.0750		0.0150	0.0000
195	646	0.1750	0.1750		0.1685	0.0065	0.0000
196	646/1384	0.3030	0.3030		0.2859	0.0171	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
197	647	0.2250	0.2250		0.2250		0.0000
198	648	0.1850	0.1850		0.1850		0.0000
199	649	0.2240	0.2240		0.2240		0.0000
200	650	0.4810	0.4810		0.2927		0.1883
201	651	0.2080	0.2080	0.2080			0.0000
202	652	0.1810	0.1810		0.1810		0.0000
203	653	0.6790	0.6790		0.6790		0.0000
204	654	0.1950	0.1950		0.1950		0.0000
205	655	0.4210	0.4210		0.4210		0.0000
206	656	0.1550	0.1550		0.1550		0.0000
207	657	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
208	658	0.6300	0.6300		0.6300		0.0000
209	659	0.0260	0.0260		0.0260		0.0000
210	660	0.0290	0.0290		0.0290		0.0000
211	661	0.0580	0.0580		0.0580		0.0000
212	662	0.3940	0.3940		0.3940		0.0000
213	663	0.1800	0.1800	0.1800			0.0000
214	664	0.5220	0.5220		0.5220		0.0000
215	665	0.4570	0.4570		0.4570		0.0000
216	666	0.4690	0.4690		0.4690		0.0000
217	667	0.5190	0.5190		0.5190		0.0000
218	668	0.0510	0.0510	0.0510			0.0000
219	669	0.2870	0.2870		0.2870		0.0000
220	670	0.0900	0.0900		0.0900		0.0000
221	671	0.0700	0.0700		0.0525		0.0175
222	672	0.0700	0.0700		0.0525		0.0175
223	673	0.1430	0.1430		0.1430		0.0000
224	674	0.4260	0.4260		0.4260		0.0000
225	674/1405	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
226	675	0.1390	0.1390		0.1390		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
227	676	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
228	677	0.0460	0.0460		0.0460		0.0000
229	678	0.2940	0.2940		0.2940		0.0000
230	679	0.3280	0.3280		0.3280		0.0000
231	680	0.1540	0.1540		0.1540		0.0000
232	681	0.0280	0.0280	0.0280			0.0000
233	682	0.0500	0.0500	0.0500			0.0000
234	683	0.1500	0.1500		0.1500		0.0000
235	684	0.0750	0.0750		0.0750		0.0000
236	685	0.0760	0.0760		0.0760		0.0000
237	686	0.0790	0.0790				0.0790
238	687	0.0750	0.0750	0.0750			0.0000
239	688	0.0590	0.0590		0.0590		0.0000
240	689	0.0530	0.0530		0.0530		0.0000
241	690	0.0530	0.0530		0.0530		0.0000
242	691	0.4660	0.4660		0.4515		0.0145
243	692	0.9390	0.9390				0.9390
244	693	0.9310	0.9310				0.9310
245	694	1.0060	1.0060				1.0060
246	695	0.4000	0.4000	0.3800	0.0200		0.0000
247	696	0.1650	0.1010	0.1010			0.0000
248	697	0.0790	0.0790		0.0790		0.0000
249	698	0.0800	0.0800		0.0320		0.0480
250	699	0.2360	0.2360		0.2360		0.0000
251	700	0.1570	0.1570		0.1570		0.0000
252	701	0.1500	0.1500	0.0050	0.1450		0.0000
253	702	1.2390	1.2390		1.2390		0.0000
254	703	0.0090	0.0090	0.0090			0.0000
255	704	0.2090	0.2090		0.2090		0.0000
256	705	0.2180	0.2180		0.2180		0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8
257	706	0.1260	0.1260		0.1260		0.0000
258	707	0.1250	0.1250		0.1250		0.0000
259	708	0.1190	0.1190		0.1190		0.0000
260	709	0.1490	0.1490		0.1490		0.0000
261	710	0.1630	0.1630		0.1630		0.0000
262	711	0.1750	0.1750		0.1750		0.0000
263	712	0.0220	0.0220	0.0220			0.0000
264	713	0.5120	0.5120		0.5120		0.0000
265	714	0.0300	0.0300	0.0300			0.0000
266	715	1.2690	1.2690		1.2690		0.0000
267	716	0.0320	0.0320	0.0320			0.0000
268	717	0.1010	0.1010		0.1010		0.0000
269	718	0.2400	0.2400		0.2400		0.0000
270	719	0.1110	0.1110				0.1110
271	720	0.4730	0.4730		0.4730		0.0000
272	721	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
273	722	0.2880	0.2880		0.1920		0.0960
274	723	0.2880	0.2880		0.2880		0.0000
275	724	0.3080	0.3080		0.3080		0.0000
276	725	0.0240	0.0240	0.0240			0.0000
277	726	0.0470	0.0470	0.0470			0.0000
278	727	0.5740	0.5740		0.5740		0.0000
279	728	0.2090	0.2090		0.1243		0.0847
280	729	0.2320	0.2320		0.2320		0.0000
281	730	0.4440	0.4440		0.4440		0.0000
282	769	4.1200	0.5665	0.5665			0.0000
Total Area (in Hectares)		**93.1910**	**79.1068**	**5.0698**	**53.5295**	**0.5335**	**19.5740**

RANVIR PRASAD,
Housing Commissioner.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर

27 जनवरी, 2023 ई0

सं0 1786/न0पा0परि0अ0/2022-23—नगर पालिका परिषद, अकबरपुर अपनें सीमान्तर्गत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2022 प्रस्तावित करती है। उपरोक्त नियमावली नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के अन्तर्गत उसकी किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति समूह के द्वारा आपत्ति या सुझाव हेतु कार्यालय के पत्रांक 1531/न0पा0परि0अ0/उपविधि/2022-23 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र विश्ववार्ता व सप्तरत्न में प्रकाशित कराया गया था, जिसमें आपत्ति एवं सुझाव हेतु एक माह का समय दिया गया था समय भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई अतः उक्त उपविधि राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

उपविधि-2022

1—संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

(क) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2022 कहलायेगी।

(ख) यह नगर पालिका परिषद, अकबरपुर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होनें के दिनांक से नगर पालिका परिषद, अकबरपुर में प्रभावी होगी।

2—परिभाषायें—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिक परिषद, अकबरपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, अकबरपुर से है।

3—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 की दरों में संशोधन करती है।

सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से नियमानुसार यूजर फीस वसूल की जायेगी।

	रु0
(1) व्यवसायिक भवन प्रत्येक दुकान जलपान-रेस्टोरेन्ट	100.00 प्रतिमाह
(2) व्यवसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स होटल	1,000.00 प्रतिमाह
(3) व्यवसायिक फैक्ट्री, अर्द्ध सरकारी संस्थान	1,000.00 प्रतिमाह
(4) व्यवसायिक भवन, चिकित्सीय क्लीनिक	100.00 प्रतिमाह
(5) व्यवसायिक भवन, नर्सिग होम	1,500.00 प्रतिमाह
(6) आयोजन या समारोह 100 व्यक्ति से अधिक पर	5.00 प्रतिव्यक्ति
(7) मछली फुटकर विक्रेता	300.00 प्रतिमाह
(8) अन्य	500.00

4—प्लास्टिक वेस्ट—

प्रतिबंधित प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है इसका उलंघन करनें पर अर्थदण्ड निम्नानुसार होगा—

S.N. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry bags, plastic and thermocol items.	Amount in Rupees
1	Up to 100 gm.	1,000.00
2	101gms. - 500 gms.	2,000.00
3	501 gms. - 1 Kg.	5,000.00
4	1 Kg. – 5 Kg.	10,000.00
5	more than 5 Kg.	25,000.00
(B)	Littering of plastic waste by any institution/commercial institution / commercial establishment/educational institution/offices/hotel/shops/restaurants/ sweetshops/ dhabas/industrial/establishments/banquet halls *etc*. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public place etc.	25,000.00
(C)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institution, offices, hotel, shops, restaurants, sweetshops, dhabas, industrial establishments, banquet halls *etc.* on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public place *etc.*	1,000.00

5–सीवर सेक्सन मशीन का यूजर चार्ज पहला चक्कर रु0 2,000.00 प्रति चक्कर तथा अन्य रु0 1,500.00 प्रति चक्कर होगा। सेप्टिक टैंक का मलजल खुले में फेंकनें पर रु0 1,000.00 अर्थदण्ड देय होगा।

6–मनोरंजन कर–

(क) सिनेमाघरों, सर्कस, थियेटर, मेला, प्रदर्शिनी इत्यादि में रु0 200.00 प्रति शो देय होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल, 2020 अनुक्रमांक 23228051 व इण्टरमीडिएट 2022, अनुक्रमांक 23701049 है। अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र में मेरे माता का नाम मनप्रीत कौर डंग व पिता का नाम बिजय पाल सिंह डंग अंकित है जबकि माता का नाम मनप्रीतम कौर व पिता का नाम बिजय पाल सिंह है इसी को सही माना जाये।

रबजोत कौर पुत्री विजय पाल सिंह,

निवासिनी मोहल्ला सरदार फीचर्स लालडिग्गी, जनपद मीरजापुर।

रबजोत कौर।

सूचना

फर्म मेसर्स सिंह ट्रान्सपोर्ट, ग्राम फरीदपुर उद्दा बिजनौर जिसकी पंजीकरण सं0 BIJ/0006839 दिनांक 23.07.2020 है। उक्त फर्म से श्री सुरेन्द्र सिंह S/o सरदार सिंह, निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा ने अपनी भागेदारी स्वेच्छा से दिनांक 29.08.2022 को पृथक् करा ली है। दिनांक 29.08.2022 से इस फर्म में श्रीमती सुमित्रा देवी W/o सुरेन्द्र सिंह, ग्राम फरीदपुर उद्दा, बिजनौर व श्री अनुज चौधरी S/o सुरेन्द्र सिंह, ग्राम फरीदपुर उद्दा भागीदार हैं।

सुमित्रा देवी भागीदार,
मेसर्स सिंह ट्रान्सपोर्ट,
ग्राम फरीदपुर उद्दा बिजनौर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स उत्सव प्लास्टो टेक, पता–प्लाट नं0 119, इकोटेक–6, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर पंजीकरण संख्या–जीबीएन/0000903 के साझीदारनामा दिनांक 16.07.2018 के अनुसार 1–श्री अनूप सिंह, 2–श्रीमती ज्ञान देवी साझीदार थे। सप्लीमेंटरी डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 01.12.2022 के अनुसार साझेदार श्रीमती रीता सिंह सम्मलित हुयी व साझीदार अनूप सिंह का पता–ए-137, सेक्टर-सिग्मा-3, ग्रेटर नोएडा–201308 गौतमबुद्धनगर किया गया। दिनांक 02.01.2023 को साझीदार श्रीमती ज्ञान देवी का देहान्त होने के कारण फर्म की सप्लीमेंटरी डीड आफ पार्टनरशीप दिनांक 21.01.2023 के अनुसार फर्म साझेदारी में अन्य कोई साझीदार सम्मिलित न करते हुये साझेदार–1-अनूप सिंह, एवं 2-श्रीमती रीता सिंह रहें।

भवदीय,
अनूप सिंह,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म अजय कंस्ट्रक्शन, सी-594 पटेल नगर, बरेली, में दिनांक 10.11.20217 को फर्म के एक भागीदार श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 नरेन्द्र देव गुप्ता, निवासी E-1063 राजेंन्द्र नगर बरेली, उक्त फर्म से दिनांक 10.11.2017 को सेवानिवृत्त हो गये है एवं अब उनके स्थान पर दो नवीन भागीदार श्री अरविन्द कुमार गंगवार पुत्र श्री भुवनेश बाबू, निवासी A-373/2 राजेंन्द्र नगर बरेली एवं श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, निवासी 215, आलमगिरी गंज, बरेली उक्त फर्म में दिनांक 10.11.2017 से प्रवेश किया है एवं उक्त फर्म से श्री अजय कुमार अग्रवाल जी का सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया गया है और अब इनका इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है एवं फर्म में अब कुल 3 पार्टनर हैं। 1-श्री अजय अग्रवाल, 2-श्री अरविन्द्र कुमार गंगवार, 3-श्री पंकज अग्रवाल सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशन किया जा रहा है।

अजय अग्रवाल,
साझीदार,
अजय कंस्ट्रक्शन,
तह0 व जिल बरेली,
उ0प्र0–243122

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शंकर वाइन्स, ग्रा0 व पो0 रानौसा तह0 जलेसर, जिला एटा में स्थित है एजी–ETH 6761 उपरोक्त फर्म में साझीदार श्री हरी शंकर पुत्र श्री गोपीराम, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह, सभी साझीदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01.11.2019 को संचालन की थी दिनांक 01.03.2021 से श्रीमती कल्पना पत्नी श्री धीरेन्द्र, श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री गोपीराम, श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह सम्मिलित हो गये है। दिनांक 15.12.2022 से फर्म में श्री उमेश कुमार पुत्र श्री गोपीराम नये साझीदार के रूप में सम्मिलित हो गये है। 15.12.2022 से श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उदयवीर सिंह, श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री रामवीर सिंह अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म को श्री हरीशंकर, श्रीमती कल्पना, श्रीमती शीला देवी, श्री उमेश कुमार संचालित करेंगे।

हरीशंकर
मेसर्स शंकर वाइन्स,
ग्रा0 व पो0 रानौसा तह0 जलेसर,
जिला एटा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स चन्द्रायन कोल्ड स्टोरेज, पावर हाउस रोड, मैनपुरी में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री सरवन कुमार चंदेल, श्री योगेन्द्र कुमार चंदेल, श्रीमती आराधना, श्री अनिल कुमार, श्री विवेक चंदेल, श्री अरुन कुमार चंदेल, श्री गर्जन सिंह, श्रीमती कुसुमा देवी, श्री आदित्य सिंह हम सभी साझीदारों ने अपनी फर्म दिनांक 15.04.2003 को संचालन की थी। दिनांक 28.03.2022 को श्री गर्जन सिंह की मृत्यु हो गई है। दिनांक 01.04.2022 से श्रीमती अनुश्री चंदेल फर्म में साझीदार हो गई है तथा श्री आदित्य सिंह फर्म से पृथक् हो गये है। अब फर्म को श्री सरवन कुमार चंदेल, श्री योगेन्द्र कुमार चंदेल, श्रीमती आराधना, श्री अनिल कुमार, श्री विवेक चंदेल, श्री अरुन कुमार चंदेल, श्रीमती कुसुमा देवी, श्रीमती अनुश्री चंदेल हम सभी साझीदार के रूप में संचालित करेंगे।

भवदीय,
श्री अरुन कुमार चंदेल,
साझीदार।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शियल सेन्टर, एस-1, यू0पी0एस0आई0 डी0सी0 चिनहट देवा रोड, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में चार साझेदार डा0 ए0के0 मिड्ढ़ा, श्री कपूर सिंह, श्री हरपाल सिंह बग्गा, श्रीमती किरन मल्होत्रा साझेदार थे जिसमें से एक साझेदारी श्री हरपाल सिंह बग्गा का निधन दिनांक 11.01.2015 तथा उनके स्थान पर उनके पुत्र मनीष बग्गा दिनांक 15.08.2016 को नये शामिल हुये जिसके उपरान्त डा0 ए0के0 मिड्ढ़ा, श्री कपूर सिंह, श्रीमती किरन मल्होत्रा एवं श्री मनीष बग्गा फर्म में साझेदार रहे। जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
डा0 ए0के0 मिड्ढ़ा,
चौधरी नर्सिंग एण्ड कामर्शिल सेन्टर,
जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स, श्री कृष्णा इन्फ्राटेक, सीवर पम्प के सामने, पुष्पविहार कालोनी, मथुरा रोड, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म श्री महेन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री वेदारी लाल निवासी 136, हलवाईयान छर्रा, अलीगढ़, श्री सुमित माहेश्वरी पुत्र श्री कृष्ण माहेश्वरी, निवासी 95, हलवाईयान छर्रा, अलीगढ़, श्री मुकेश माहेश्वरी पुत्र श्री विशन स्वरूप भट्टर, निवासी 17/301 पुष्प विहार कालोनी, मथुरा रोड़, अलीगढ़, हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 25.08.2014 को संचानन की थी। दिनांक 24.07.2018 से श्री नवनीत माहेश्वरी पुत्र श्री कृष्ण माहेश्वरी, निवासी श्री शिव मंदिर के सामने, मोहल्ला हलवाईयान छर्रा, रफतपुर, अलीगढ़ फर्म में साझेदार हो गये है तथा श्री सुमित माहेश्वरी फर्म से पृथक् हो गये है। दिनांक 01.01.2023 से श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासीगण गांधी नगर, अलीगढ़ फर्म में साझेदार हो गये है तथा श्री महेन्द्र कुमार माहेश्वरी, श्री नवनीत माहेश्वरी फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म को श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री मुकेश माहेश्वरी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

भवदीय,
मुकेश माहेश्वरी,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम (MAHENDRA KUMAR) महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहन लाल (MOHAN LAL) निवासी–41–आई0आर0डब्लू0 ओ0 संगम वाटिका देव प्रयागम, झलवा, जनपद प्रयागराज है, मेरे शैक्षिक अभिलेखों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट व सरकारी दस्तावेजों आदि में महेन्द्र कुमार (MAHENDRA KUMAR) नाम अंकित है। अब मैंने अपना नाम महेन्द्र दीवान (MAHENDRA DIWAN) रख लिया है। भविष्य में मुझे महेन्द्र दीवान (MAHENDRA DIWAN) पुत्र श्री मोहन लाल (MOHAN LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

महेन्द्र कुमार।

सूचना

मेरा कक्षा 12 अंकपत्र सी0बी0एस0ई0 बोर्ड का है जिसमें मेरी माता का नाम SABEENA KHATOON और पिता का नाम (MOHD. SHAHZAD AKHTER) अंकित हो गया है जबकि अन्य सभी अभिलेखों में उनके नाम SHABINA KHATUN और MOHAMMAD SHAHZAD AKHTER है। अहमद शिबली पुत्र मुहम्मद शहजाद अख्तर, निवासी 436/इ0, DLW., VARANASI-221004.

AHMAD SHIBLI.

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जूट, प्लाट नं0–16, मुस्लिमनगर, सीतापुर रोड़, जिला लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म की साझेदारी में दो साझेदार थे, ममता मेहरोत्रा एवं श्रीमती शालिनी खन्ना साझेदार थी, जिसमें दिनांक 18.01.2023 को फर्म की साझेदारी में दो साझेदार श्रीमती सुमन कुमारी एवं श्री उद्यन कुमार सिंह नये शामिल हो रहे है तथा इसी तिथि से फर्म की पुरानी साझेदारों में से एक श्रीमती शालिनी खन्ना फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक अलग हो रही है, जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
ममता मेहरोत्रा,
मेसर्स जूट,
प्लाट नं0–16, मुस्लिमनगर,
सीतापुर रोड़, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हाई स्कूल अंकपत्र में गलती से वीरेन्द्र कुमार (VIRENDRA KUMAR) पुत्र राम सनेही (RAM SANEHI) अंकित है जो की गतल है मेरा सही नाम वीरेन्द्र कुमार गोंड (VIRENDRA KUMAR GOND) पुत्र राम सनेही गोंड (RAM SANEHI GOND) है। मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। पता–S-26/237, R-1-A श्यामपुरी कालोनी बी–ब्लाक, मीरापुर बसहीं, जिला वाराणसी।

Virendra Kumar Gond.

NOTICE

In the deponent's Passport Number K 6266114, name has been registered as Anju Lata Tiwari, which is her name after marriage. The name before marriage is Anju Lata Singh, which is also mentioned in her Aadhaar Card and PAN Card. I will be known in future as Anju Lata Singh W/o Shri Trayambak Tiwari, R/o-Block-2, Flat No. 502, Tridev Complex, Sunderpur, Varanasi, U. P.-221005.

ANJU LATA SINGH.

पी0एस0यू0पी0–45 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।